

द्वितीय अध्याय : राज्य शासन के वित्त

2.1 प्रस्तावना

यह अध्याय राज्य के वित्त लेखों के आधार पर पिछले वर्ष के सापेक्ष प्रमुख राजकोषीय समुच्चय में महत्वपूर्ण परिवर्तन का विश्लेषण करता है, वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 तक पाँच वर्ष की अवधि के दौरान समस्त प्रवृत्ति, राज्य के ऋण स्थिरता और प्रमुख लोक लेखे लेन-देनों का राज्य वित्त का एक व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है।

वर्ष 2020-21 के सापेक्ष में वर्ष 2021-22 के दौरान मुख्य राजकोषीय संकेतकों में प्रमुख परिवर्तन

तालिका 2.1 पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य के मुख्य राजकोषीय संकेतकों में प्रमुख परिवर्तन का एक विहंगम दृश्य प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.1: वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 में मुख्य राजकोषीय संकेतकों में परिवर्तन

राजस्व प्राप्तियाँ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ राज्य के राजस्व प्राप्तियों में 26.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई ➤ राज्य के स्वयं के कर राजस्व में 18.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई ➤ करेतर राजस्व में 94.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई ➤ राज्य के संघीय करों एवं शुल्कों में 40.48 प्रतिशत की वृद्धि हुई ➤ भारत सरकार से सहायता अनुदान में 20.81 प्रतिशत की कमी हुई
राजस्व व्यय	<ul style="list-style-type: none"> ➤ राजस्व व्यय में 7.11 प्रतिशत की वृद्धि हुई ➤ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय में 9.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई ➤ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 11.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई ➤ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय में 1.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई ➤ सहायता अनुदान और योगदान पर व्यय में 1.12 प्रतिशत की कमी हुई
पूँजीगत व्यय	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पूँजीगत व्यय में 16.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई ➤ सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 30.93 प्रतिशत की कमी हुई ➤ सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 10.19 प्रतिशत की वृद्धि हुई ➤ आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय में 23.98 प्रतिशत की वृद्धि हुई
ऋणों तथा अग्रिमों	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ऋण तथा अग्रिमों के संवितरणों में 541.70 प्रतिशत की वृद्धि हुई ➤ ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियों में 15.97 प्रतिशत की कमी हुई
लोक ऋण	<ul style="list-style-type: none"> ➤ लोक ऋण प्राप्तियों में 30.04 प्रतिशत की कमी हुई ➤ लोक ऋण अदायगी में 10.29 प्रतिशत की वृद्धि हुई
लोक लेखा	<ul style="list-style-type: none"> ➤ लोक लेखा प्राप्तियों में 6.84 प्रतिशत की वृद्धि हुई ➤ लोक लेखा संवितरणों में 6.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई
रोकड़ शेष	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान रोकड़ शेष और रोकड़ शेष के निवेश में ₹460.25 करोड़ (4.86 प्रतिशत) की वृद्धि हुई

उपरोक्त प्रत्येक संकेतक का विश्लेषण अनुवर्ती पैराग्राफों में किया गया है।

2.2 निधियों के स्रोत और उपयोग


तालिका 2.2 में राज्य की निधि के स्रोतों और उपयोग की तुलना वर्ष 2021-22 के दौरान, वर्ष 2020-21 के साथ की गई जबकि चार्ट 2.1 और 2.2 वर्ष 2021-22 के दौरान समेकित निधि से प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रतिशत रूप में देते हैं।

तालिका 2.2: वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान निधियों के स्रोतों और उपयोग का विवरण
(₹ करोड़ में)


क. सं.	विवरण	2020-21	2021-22	वृद्धि (+)/कमी (-)
1	स्रोत			
2	प्रारंभिक रोकड़ शेष ¹	11,396.60	9,461.37	(-)1,935.23
3	राजस्व प्राप्तियाँ	63,176.18	79,652.03	16,475.85
4	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	4.85	4.89	0.04
5	ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	104.80	88.06	(-)16.78
6	अंतर्राज्यीय परिशोधन	(-)0.67	(-)0.04	0.63
7	लोक ऋण प्राप्तियाँ (निवल)	13,561.39	6,252.98	(-)7,308.41
8	लोक लेखा प्राप्तियाँ (निवल)	325.76	300.37	(-)25.39
9	आकस्मिकता निधि	0.00	0	0
10	योग	88,568.91	95,759.66	7,190.75
11	उपयोग			
12	राजस्व व्यय	70,032.84	75,010.01	4,977.17
13	पूँजीगत व्यय	9,024.19	10,504.22	1,480.03
14	ऋण एवं अग्रिमों का संवितरण	50.50	324.06	273.56
15	अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.01	(-)0.25	(-)0.26
16	आकस्मिकता निधि	0.00	0.00	0.00
17	अंतिम रोकड़ शेष	9,461.37	9,921.62	460.25
18	योग	88,568.91	95,759.66	7,190.75

स्रोत : वित्त लेखे 2020-21 एवं 2021-22

चार्ट 2.1: संसाधनों का स्रोत (प्रतिशत)



चार्ट 2.2: संसाधनों का उपयोग (प्रतिशत)



स्रोत : वित्त लेखे 2021-22

नोट: ऋण एवं अग्रिमों की वसूली, पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं आकस्मिकता निधि अन्य में शामिल है।

¹ प्रारंभिक/अंतिम रोकड़ शेष में रोकड़ शेष, रोकड़ शेष और निर्धारित फंड का निवेश शामिल हैं।

2.3 राज्य के संसाधन

1. **राजस्व प्राप्तियों** में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व और संघों के करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा एवं भारत सरकार से सहायता अनुदान सम्मिलित है।


2. **पूँजीगत प्राप्तियों** में विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ जैसे विनिवेश से प्राप्त आय, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और भारत सरकार से प्राप्त ऋण और अग्रिम। राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियाँ दोनों राज्य की समेकित निधि का हिस्सा है।

3. **शुद्ध लोक लेखे प्राप्तियों:** कुछ प्राप्तियाँ और संवितरण संबंधित लेने-देन होते हैं, जैसे छोटी बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण इत्यादि जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं होती। यह संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत स्थापित लोक लेखे में रखी जाती है और राज्य विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं होता है। यहां शासन बैंकर के समान कार्य करती है। संवितरण के बाद निधि की शेष राशि शासन के उपयोग हेतु उपलब्ध होती है।

2.3.1 राज्य की प्राप्तियाँ

चार्ट 2.3 समग्र प्राप्तियों की संरचना को प्रस्तुत करता है। राजस्व और पूँजीगत प्राप्तियों के अलावा, लोक लेखे में उपलब्ध धन (इससे किये गये संवितरण का निवल) भी शासन द्वारा वित्त घाटे को पूरा करने के लिए का उपयोग किया जाता है।

चार्ट 2.3: वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य के संसाधनों की संरचना



स्रोत: वित्त लेखे 2021-22

2.3.2 राजस्व प्राप्तियाँ

राजस्व प्राप्तियों में राज्य के स्वयं के कर और करेत्तर राजस्व, केन्द्रीय कर हस्तांतरण और भारत सरकार से सहायता अनुदान शामिल है।

2.3.2.1 राजस्व प्राप्तियाँ के प्रवृत्ति और वृद्धि

तालिका 2.3 पाँच वर्ष की अवधि 2017–22 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के विरुद्ध राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ एवं वृद्धि के साथ-साथ राजस्व उत्प्लावकता को प्रदान करता है। आगे, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष में राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ एवं राजस्व प्राप्तियों की संरचना क्रमशः चार्ट 2.4 और चार्ट 2.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.3: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ


क्र. सं.	विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	59,647.07	65,094.93	63,868.70	63,176.18	79,652.03
2	राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.11	9.13	(-1.88)	(-1.08)	26.08
3	स्वयं के कर राजस्व (₹ करोड़ में)	19,894.68	21,427.26	22,117.85	22,889.20	27,083.73
4	करेत्तर राजस्व (₹ करोड़ में)	6,340.42	7,703.02	7,933.77	7,136.95	13,851.21
5	राज्य के स्वयं के कर की वृद्धि दर (प्रतिशत) (स्वयं के कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व)	6.58	11.04	3.16	(-0.08)	36.33
6	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	2,82,266	3,27,693	3,44,571 ^{प्र}	3,52,161 ^{त्व}	4,00,061 ^अ
7	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.41	16.09	5.15	2.20	13.60
8	राजस्व प्राप्तियाँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	21.13	19.86	18.54	17.94	19.91
उत्प्लावकता अनुपात²						
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजस्व उत्प्लावकता	1.50	0.57	(-0.37)	(-0.49)	1.92
10	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राज्य के स्वयं के राजस्व उत्प्लावकता	0.89	0.69	0.61	(-0.04)	2.67

स्रोत: सकल राज्य घरेलू उत्पाद का स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़ राज्य
अ-अग्रिम अनुमान त्व-त्वरित अनुमान प्रा-प्रावधिक अनुमान

राजस्व उत्प्लावकता, राजस्व प्राप्तियों में प्रतिशत परिवर्तन को जीएसडीपी में प्रतिशत परिवर्तन को मापता है। जैसा कि तालिका 2.3 से देखा जा सकता है, राजस्व उत्प्लावकता जो वर्ष 2020-21 के दौरान (-)0.49 था, वर्ष 2021-22 में बढ़कर 1.92 हो गया है, यह दर्शाता है कि वर्ष 2021-22 के दौरान जब जीएसडीपी में एक आधार बिंदु की वृद्धि हुई है, राज्य की राजस्व प्राप्तियों में 1.92 आधार अंकों की वृद्धि देखी गई। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 में स्वयं का राजस्व उत्प्लावकता (-)0.04 से बढ़कर वर्ष 2021-22 के दौरान 2.67 हो गया, जिसका अर्थ है कि वर्ष 2021-22 के दौरान जब राज्य के जीएसडीपी में एक आधार बिंदु की वृद्धि हुई है, तो स्वयं के राजस्व में 2.67 आधार अंक की वृद्धि हुई है।


² उत्प्लावकता अनुपात किसी राजकोषीय चर के मूल चर में दिये गये परिवर्तन के सापेक्ष प्रतिक्रियात्मकता के लोच अथवा कोटि को दर्शाता है।

चार्ट 2.4: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 2.5: राजस्व प्राप्तियों के घटकों की प्रवृत्ति



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य के राजस्व प्राप्तियों का विश्लेषण से ज्ञात होता है कि:

- राजस्व प्राप्तियाँ वर्ष 2017-18 में ₹59,647.07 करोड़ से ₹20,004.96 करोड़ बढ़कर वर्ष 2021-22 के दौरान ₹79,652.03 करोड़ हो गईं। 2021-22 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में ₹16,475.85 करोड़ (26.08 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्य रूप से कर राजस्व की प्राप्तियों में ₹12,427.78 करोड़ (28.75 प्रतिशत) तथा करेत्तर राजस्व प्राप्तियों में ₹6,714.26 करोड़ (94.08 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण हुई।
- वर्ष 2017-18 के दौरान, राजस्व प्राप्तियों का लगभग 44 प्रतिशत राज्य के अपने संसाधनों से आया, जबकि केंद्रीय कर हस्तांतरण और सहायता अनुदान ने मिलकर 56 प्रतिशत का योगदान

दिया। वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का लगभग 51 प्रतिशत राज्य के अपने संसाधनों से प्राप्त हुआ, जबकि 49 प्रतिशत केन्द्रीय कर हस्तांतरण और सहायता अनुदान का सम्मिलित योगदान रहा।

- चालू वर्ष के दौरान, राजस्व प्राप्तियों में 26.08 प्रतिशत (₹16,475.85 करोड़) की उल्लेखनीय वृद्धि की तुलना में राजस्व व्यय में 7.11 प्रतिशत (₹4,977.17 करोड़) की वृद्धि हुई, जिसके कारण पिछले वर्ष के ₹6,856.66 करोड़ के राजस्व घाटे की तुलना में ₹4,642.02 करोड़ का राजस्व आधिक्य हुआ।

2.3.3 राज्य के स्वयं के संसाधन

केन्द्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर निर्धारित की जाती है। सहायता अनुदान का निर्धारण केन्द्रीय कर प्राप्तियों के संग्रह तथा योजनाओं के लिए आशातीत केन्द्रीय सहायता के मात्रा पर निर्धारित होता है। अतिरिक्त संसाधनों के संग्रहण में राज्य के निष्पादन का मूल्यांकन राज्य के अपने संसाधनों, जिसमें स्वयं के कर तथा करेत्तर स्रोत अनुसार किया जाना चाहिए।

वर्ष 2017-18 से 2021-22 के लिए राज्य के वास्तविक स्वयं के कर और करेत्तर राजस्व प्राप्तियाँ तालिका 2.4 में दर्शाई गई है।

तालिका 2.4: वर्ष 2017-22 के दौरान राज्य के स्वयं के कर राजस्व/करेत्तर राजस्व का विकास

क्र. सं.	विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	स्वयं के कर राजस्व (₹करोड़ में)	19,894.68	21,427.26	22,117.85	22,889.20	27,083.73
2	वृद्धि दर (प्रतिशत)	5.01	7.70	3.22	3.49	18.33
3	करेत्तर राजस्व (₹करोड़ में)	6,340.42	7,703.02	7,933.77	7,136.95	13,851.21
4	वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.84	21.49	3.00	(-10.04)	94.08


स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

- वर्ष 2017-22 के दौरान, स्वयं के कर राजस्व की विकास दर में 3.22 से 18.33 प्रतिशत के मध्य अस्थिर प्रवृत्ति का रुझान दिखा तथा वर्ष 2020-21 में ₹22,889.20 करोड़ से ₹4,194.57 करोड़ (18.33 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2021-22 में ₹27,083.73 करोड़ हो गया।
- वर्ष 2017-22 के दौरान, करेत्तर राजस्व की विकास दर में (-)10.04 से 94.08 प्रतिशत के मध्य अस्थिर प्रवृत्ति का रुझान दिखा तथा वर्ष 2020-21 में ₹7,136.95 करोड़ से ₹6,750.04 करोड़ (94.08 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2021-22 में ₹13,851.21 करोड़ हो गया।

2.3.3.1 स्वयं के कर राजस्व

राज्य के स्वयं के कर राजस्व में राज्य जीएसटी, राज्य उत्पाद शुल्क, वाहनों पर कर, स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क, भू-राजस्व, माल और यात्रियों पर कर आदि शामिल हैं। वर्ष 2017-22 में पाँच वर्षों के दौरान राज्य की स्वयं के कर राजस्व का विवरण चार्ट 2.6 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.6: वर्ष 2017-22 के दौरान स्वयं के कर राजस्व का वृद्धि दर



स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2017-22 तक पाँच वर्षों के दौरान स्वयं के कर राजस्व प्राप्तियों का घटक-वार विवरण तालिका 2.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.5: वर्ष 2017-22 के दौरान घटक-वार स्वयं के कर राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2020-21 की तुलना में 2021-22 में % वृद्धि (+) / कमी (-)
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	6,449.60	4,087.72	3,931.37	4,236.04	5,341.10	26.09
2	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	4,386.56	8,203.41	7,894.82	7,925.01	9,483.48	19.67
3	राज्य उत्पाद शुल्क	4,054.00	4,489.03	4,952.36	4,635.80	5,106.61	10.16
4	वाहनों पर कर	1,180.01	1,204.85	1,274.85	1,148.07	1,372.51	19.55
5	स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	1,197.47	1,108.46	1,634.63	1,584.94	1,945.36	22.74
6	भू-राजस्व	446.41	487.57	551.50	937.71	949.94	1.30
7	माल एवं यात्रियों पर कर	477.66	54.51	40.51	79.83	47.90	(-)40.00
8	विद्युत कर तथा शुल्क	1,688.96	1,790.27	1,837.00	2,341.41	2,836.05	21.13
9	अन्य कर ³	14.01	1.44	0.81	0.39	0.78	100.00
	योग	19,894.68	21,427.26	22,117.85	22,889.20	27,083.73	18.33

स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

- राज्य का स्वयं के कर राजस्व वर्ष 2017-18 में ₹19,849.68 करोड़ से ₹7,189.05 करोड़ (36.14 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2021-22 में ₹27,083.73 करोड़ हो गया। चालू वर्ष के दौरान, स्वयं के कर राजस्व में ₹4,194.57 करोड़ (18.33 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्य रूप से राज्य वस्तु एवं सेवा कर (₹558.47 करोड़), बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹1,105.06 करोड़) की प्राप्तियों में वृद्धि के कारण हुई।
- वर्ष 2021-22 में ₹27,083.73 करोड़ के कुल स्वयं के कर राजस्व में से, वस्तु एवं सेवा करों द्वारा 35.02 प्रतिशत, बिक्री, व्यापार आदि पर करों के द्वारा 19.72 प्रतिशत तथा राज्य उत्पाद शुल्क द्वारा 18.85 प्रतिशत का योगदान दिया।

³ अन्य करों में होटल प्राप्ति कर और आय और व्यय पर अन्य कर शामिल हैं।

2.3.3.2 राज्य वस्तु एवं सेवा कर

राज्य शासन ने 01 जुलाई 2017 से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम लागू किया। वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के तहत, केन्द्र सरकार वस्तु एवं सेवा कर के कार्यन्वयन के कारण उत्पन्न होने वाले राजस्व हानि की भरपाई पाँच वर्ष की अवधि तक करेगी। राज्य को देय क्षतिपूर्ति की राशि की गणना भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रत्येक वर्ष राजस्व के प्राप्त अंतिम आंकड़ों के लेखापरीक्षा के पश्चात की जाएगी। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत आधार वर्ष (2015-16) के वस्तु एवं सेवा कर में सम्मिलित किये गये करों के राजस्व आंकड़ा अनुसार तय किया गया। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार छत्तीसगढ़ के लिए आधार वर्ष 2015-16 के अनुमानित राजस्व ₹7,357.43 करोड़ में प्रति वर्ष 14 प्रतिशत की वृद्धि दर को लागू करते हुए वर्ष 2021-22 के लिए अनुमानित राजस्व ₹16,149.36 करोड़ की गणना की गई।

वर्ष 2021-22 के लिए वस्तु एवं सेवा कर के तहत राजस्व का आंकड़ा प्राप्तियों की प्रकृति के अनुसार वित्त लेखों में दर्शाया गया है जैसे कि राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एस.जी.एस.टी), इनपुट टैक्स क्रेडिट, एस.जी.एस.टी का क्रास उपयोग एवं एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आई.जी.एस.टी), आई.जी.एस.टी का कर भाग का एस.जी.एस.टी. में हस्तांतरण का विभाजन और आई.जी.एस.टी से आग्रिम विभाजन। वर्ष 2021-22 के दौरान अनुमानित राजस्व ₹16,149.36 करोड़ के विरुद्ध, वस्तु एवं सेवा कर के तहत राज्य शासन को ₹9,483.48 करोड़ के राजस्व प्राप्त हुई। राज्य शासन को वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन से उत्पन्न राजस्व हानि के लिए भारत सरकार से ₹1,216.86 करोड़ की क्षतिपूर्ति भी प्राप्त हुई। इसके अलावा, राज्य शासन को 2021-22 के दौरान जीएसटी मुआवजे में कमी के कारण संसाधन अंतर को पूरा करने के लिए भारत सरकार से ₹4,965.15 करोड़ का बैंक टू बैंक ऋण भी प्राप्त हुआ।

2.3.3.3 करेत्तर राजस्व

करेत्तर राजस्व में ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश और लाभ, खनन प्राप्तियाँ, विभागीय प्राप्तियाँ आदि शामिल हैं। वर्ष 2017-22 के दौरान घटक वार करेत्तर राजस्व प्राप्तियों का विवरण निम्नानुसार था।

तालिका 2.6: वर्ष 2017-22 के दौरान घटक वार करेत्तर राजस्व

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	(₹ करोड़ में)
							2020-21 की तुलना में 2021-22 में % वृद्धि (+) / कमी (-)
1	अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	4,911.44	6,110.24	6,195.73	5,538.49	12,305.39	122.18
2	ब्याज प्राप्तियाँ	180.44	189.55	232.41	89.77	137.96	53.68
3	लाभांश और लाभ	4.80	1.49	2.39	2.29	3.64	58.95
4	वृहद् सिंचाई	461.23	521.81	437.04	445.91	418.17	6.22
5	वानिकी तथा वन्य जीव	291.17	236.73	249.37	277.09	346.90	25.19
6	अन्य करेत्तर प्राप्तियाँ	491.34	643.20	816.83	783.40	639.15	18.41
योग		6,340.42	7,703.02	7,933.77	7,136.95	13,851.21	94.08

स्रोत : संबंधित वर्षों के वित्त लेखे


कुल करेत्तर राजस्व प्राप्तियों में ₹7,510.79 करोड़ (118.46 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जो वर्ष 2017-18 में ₹6,340.42 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021-22 में ₹13,851.21 करोड़ हो गई। करेत्तर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान ₹6,750.04 करोड़ (94.08 प्रतिशत) की उल्लेखनीय वृद्धि

मुख्य रूप से अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों के तहत कोयला ब्लॉकों और अन्य खनिजों की नीलामी से प्राप्तियों में ₹6,766.90 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।

2.3.3.4 केंद्र से निधियों का हस्तांतरण

केंद्र सरकार से निधि का हस्तांतरण वित्त आयोग की सिफारिशों पर निर्भर है। दस वर्ष की अवधि 2012–22 के दौरान इस संबंध में प्रवृत्ति चार्ट 2.7 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.7: केंद्र से हस्तांतरण की प्रवृत्ति



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2015–16 के बाद से केंद्र से धन के हस्तांतरण में वृद्धि हुई है, क्योंकि केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा चौदहवें वित्त आयोग के अनुसार 32 प्रतिशत से बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा, भारत सरकार ने वर्ष 2020–21 से करों के विभाज्य पूल में राज्यों के हिस्से को 42 प्रतिशत से घटाकर 41 प्रतिशत करने की पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया।

केंद्र से हस्तांतरण वर्ष 2012–13 में ₹11,927.93 करोड़ से ₹26,789.16 करोड़ बढ़कर वर्ष 2021–22 में ₹38,717.09 करोड़ हो गया। चालू वर्ष के दौरान, केंद्र से हस्तांतरण वर्ष 2020–21 में ₹33,150.03 करोड़ से ₹5,567.06 करोड़ बढ़कर वर्ष 2021–22 में ₹38,717.09 करोड़ हो गया।

केन्द्रीय कर हस्तान्तरण

वर्ष 2017–22 के दौरान केन्द्रीय करों और शुल्कों में छत्तीसगढ़ राज्य के हिस्से का विवरण तालिका 2.7 में दिया गया है।

तालिका 2.7: केन्द्रीय कर हस्तान्तरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर	291.44	5,789.33	5,733.71	6,068.90	8,628.50
2	एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	2,094.36	462.00	0.00	0.00	0.00
3	निगम कर	6,352.98	8,157.09	6,889.42	6,117.65	7,699.82
4	निगम कर से भिन्न आय पर कर	5,364.62	6,007.35	5,398.34	6,269.51	8,887.95
5	सीमा शुल्क	2,093.70	1,662.66	1,280.78	1,097.20	2,017.68
6	संघ उत्पाद शुल्क	2,188.50	1,104.93	890.49	686.04	1,009.06
7	सेवा कर	2,369.40	217.76	0.00	84.52	296.68
8	अन्य कर	(-)0.19	57.57	13.10	13.72	31.10
9	केन्द्रीय कर हस्तांतरण	20,754.81	23,458.69	20,205.84	20,337.54	28,570.79
10	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत	10.34	13.03	(-)13.87	0.65	40.48
11	राजस्व प्राप्तियों में केन्द्रीय कर हस्तांतरण का प्रतिशत	34.80	36.04	31.64	32.19	35.87

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

विगत पाँच वर्ष की अवधि वर्ष 2017-22 में, केन्द्रीय कर हस्तान्तरण वर्ष 2017-18 में ₹20,754.81 करोड़ से ₹7,815.98 करोड़ (37.66 प्रतिशत) बढ़कर वर्ष 2021-22 में ₹28,570.79 करोड़ हो गया। वर्ष 2017-22 के दौरान केन्द्रीय कर हस्तांतरण की वृद्धि दर में (-)13.87 प्रतिशत से लेकर 40.48 प्रतिशत तक उतार-चढ़ाव की प्रवृत्ति दिखा। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय कर हस्तांतरण में ₹233.25 करोड़ (40.48 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्य रूप से निगम कर से भिन्न अन्य आय पर कर (₹2,618.44 करोड़) तथा केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (₹2,559.60 करोड़) के कारण हुई।

2.3.3.5 भारत सरकार से सहायता अनुदान

राज्य शासन वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर सहायता अनुदान और केन्द्रीय करों और शुल्कों का हिस्सा प्राप्त करती है। वर्ष 2017-22 के दौरान राज्य शासन द्वारा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का विवरण तालिका 2.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.8: भारत सरकार से सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	केन्द्र प्रवर्तित योजना के लिये अनुदान	9,275.76	8,214.77	7,808.24	6,975.55	6,170.60
2	वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान	1,460.23	1,679.48	2,044.75	2,286.50	2,379.80
3	अन्य हस्तांतरण/राज्यों को अनुदान	1,921.17	2,611.70	3,758.25	3,547.44	1,595.90
	योग	12,657.16	12,505.95	13,611.24	12,812.49	10,146.30
4	पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत	23.34	(-)1.19	8.84	(-)5.87	(-)20.81
5	राजस्व प्राप्तियाँ	59,647.07	65,094.93	63,868.70	63,176.18	79,652.03
6	राज्य के राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल सहायता अनुदान	21.22	19.21	21.31	20.28	12.74

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2021-22 के दौरान, भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान का विवरण राजस्व प्राप्तियों का 12.74 प्रतिशत रहा। वर्ष के दौरान राज्य को केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिये अनुदान (₹6,170.60 करोड़) कुल अनुदान का 61 प्रतिशत रहा। राज्य को वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान (₹2,379.80 करोड़) स्थानीय निकायों और राज्य आपदा राहत निधि के लिये प्रदान किया गया जो कि वर्ष के दौरान

कुल अनुदान का 23 प्रतिशत रहा। भारत सरकार से राज्य को अन्य अनुदान (₹1,595.50 करोड़) में ₹1,216.86 करोड़ का जीएसटी क्षतिपूर्ति शामिल है जो अन्य हस्तांतरण/अनुदान का 76.25 प्रतिशत था।

वर्ष 2021-22 के दौरान भारत सरकार से मिलने वाले सहायता अनुदान में पिछले वर्ष की तुलना में ₹2,666.19 करोड़ (20.81 प्रतिशत) की कमी मुख्य रूप से केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए अनुदान की प्राप्ति में ₹804.95 करोड़ (प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) (₹234.01 करोड़), शहरी कायाकल्प मिशन-(अमृत) (₹411.38 करोड़) और अन्य) और राज्य को अन्य हस्तांतरण/अनुदान के तहत जीएसटी मुआवजा में ₹1,951.54 करोड़ की कमी के कारण हुई।

इसके अलावा, राज्य शासन को ऋण प्राप्ति के रूप में वर्ष 2021-22 के दौरान जीएसटी क्षतिपूर्ति में कमी के बदले में ₹4,965.15 करोड़ का बैंक टू बैंक ऋण प्राप्त हुआ जो अन्यथा भारत सरकार से सहायता अनुदान के रूप में हस्तांतरण होता।

2.3.3.6 पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान

भारत सरकार ने राज्यों को स्थानीय निकायों और राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एसडीआरएमएफ) के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत अनुदान प्रदान किया। वर्ष 2021-22 के दौरान इस संबंध में भारत सरकार से राज्य शासन को प्रदत्त अनुदान का विवरण तालिका 2.9 में दिया गया है।

तालिका 2.9: पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार भारत सरकार द्वारा जारी सहायता अनुदान (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	हस्तांतरण	पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा	भारत सरकार द्वारा 2021-22 में जारी अनुदान
स्थानीय निकाय			
1	पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान		
(अ)	मूल अनुदान (सहायता अनुदान-सामान्य)	1,075.00	1,075.00
2	शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान		
(अ)	मिलियन प्लस शहरों के लिये अनुदान	163.00	107.50 [#]
(ब)	नॉन मिलियन प्लस शहरों के लिये अनुदान	367.00	426.50*
3	स्थानीय निकायों को स्वास्थ्य अनुदान	339.00	338.80
4	स्थानीय निकायों का योग	1,944.00	1,947.80
5	राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एसडीआरएमएफ)	432.00	432.00
6	कुल योग	2,376.00	2,379.80

स्रोत: वित्त लेखे 2021-22 तथा पंद्रहवें वित्त आयोग प्रतिवेदन

[#]2021-22 में भारत सरकार द्वारा जारी वर्ष 2020-21 से संबंधित ₹53.50 करोड़ शामिल हैं, *2021-22 में भारत सरकार द्वारा जारी वर्ष 2020-21 से संबंधित ₹243 करोड़ शामिल हैं

- मार्च 2022 तक, राज्य शासन ने 2021-22 के दौरान पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश के विरुद्ध पंचायती राज संस्थाओं के लिए संपूर्ण मूल अनुदान (₹1,075.00 करोड़) प्राप्त किया।
- राज्य शासन ने वर्ष 2021-22 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग की ₹530.00 करोड़ की सिफारिश के विरुद्ध शहरी स्थानीय निकायों के लिए ₹237.50 करोड़ प्राप्त किए। वर्ष 2020-21 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के विरुद्ध शहरी स्थानीय निकायों के लिए ₹296.50 करोड़ का अनुदान भी वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त हुआ था।

- राज्य शासन ने वर्ष 2021-22 के दौरान पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश के सापेक्ष में राज्य आपदा राहत निधि (₹432.00 करोड़) के लिये संघ का पूरा हिस्सा प्राप्त किया।

2.3.3.7 पूँजीगत अनुभाग के तहत प्राप्तियाँ

पूँजीगत प्राप्तियों में विविध पूँजी प्राप्तियाँ शामिल हैं जैसे विनिवेश से आय, ऋण और अग्रिम की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों वाणिज्यिक बैंकों से उधार) और ऋण और अग्रिम के रूप में भारत सरकार से प्राप्तियाँ।

निम्न तालिका वर्ष 2017-18 से 2021-22 के लिए पूँजीगत खंड में प्राप्तियों की वृद्धि और संरचना के प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 2.10: पूँजीगत अनुभाग के तहत प्राप्तियों की संरचना एवं वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पूँजीगत अनुभाग के तहत राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	3.32	5.26	4.70	4.85	4.89
2	ऋण तथा अग्रिमों की वसूली	138.59	162.32	256.78	104.80	88.06
3	अंतर्राज्यीय परिशोधन	1.24	0.56	0.13	(-)0.67	(-)0.04
4	गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (अ)	143.15	168.14	261.61	108.98	92.91
5	आंतरिक ऋण	9,187.89	13,816.66	19,308.36	17,961.37	9,321.77
6	वृद्धि दर (प्रतिशत)	80.21	50.38	39.75	(-)6.98	(-)48.10
7	केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	464.55	553.44	279.17	3,620.31	5,776.51
8	वृद्धि दर (प्रतिशत)	21.76	19.13	(-)49.56	1,196.81	59.56
9	लोक ऋण प्राप्तियाँ (ब)	9,652.44	14,370.10	19,587.53	21,581.68	15,098.28
10	पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियाँ (अ+ब)	9,795.59	14,538.24	19,849.14	21,690.66	15,191.19
11	गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-)18.54	17.46	55.59	(-)58.34	(-)14.75
12	पूँजीगत प्राप्तियों अनुभाग के अंतर्गत लोक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	76.14	48.88	36.31	10.18	(-)30.04
13	वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.41	16.09	5.15	2.20	13.60
14	पूँजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	73.20	48.42	36.53	9.28	(-)29.96

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य की पूँजीगत अनुभाग के तहत प्राप्तियाँ वर्ष 2017-18 में ₹9,795.59 करोड़ से ₹5,389.60 करोड़ (55.08 प्रतिशत) बढ़कर 2021-22 में ₹15,191.19 करोड़ हो गया। वर्ष 2021-22 के दौरान, पूँजीगत खंड प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में ₹6,499.47 करोड़ (29.96 प्रतिशत) की कमी आई, जिसका मुख्य कारण भारत सरकार से ऋण और अग्रिम में वृद्धि के बावजूद लोक ऋण प्राप्तियों में ₹6,483.40 करोड़ (30.04 प्रतिशत) की कमी थी। ऋण और अग्रिम में वृद्धि जीएसटी क्षतिपूर्ति कमी के एवज में भारत सरकार से बैंक टू बैंक ऋण के रूप में ₹4,965.15 करोड़ की प्राप्ति के कारण थी।

गैर-ऋण पूँजी प्राप्तियाँ, मुख्य रूप से ऋणों और अग्रिमों की वसूली के रूप में, पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2021-22 में ₹16.07 करोड़ (14.75 प्रतिशत) कम हो गई।

2.3.4 संसाधन जुटाने में राज्य का प्रदर्शन

संसाधनों के जुटाने में राज्य के प्रदर्शन का आंकलन उसके स्वयं के संसाधनों जिसमें स्वयं के कर और करेत्तर राजस्व स्रोत शामिल हैं। पंद्रहवें वित्त आयोग के आंकलन एवं बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2021-22 के लिए राज्य के वास्तविक स्वयं का कर राजस्व और करेत्तर राजस्व का विवरण तालिका 2.11 में दिए गए है।

तालिका 2.11: कर और करेत्तर प्राप्तियों के सापेक्ष अनुमान

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुमान	बजट अनुमान	वास्तविक	वास्तविक के सापेक्ष प्रतिशत परिवर्तन	
					बजट अनुमान	पंद्रहवें वित्त आयोग के अनुमान
1	स्वयं के कर राजस्व	24,105.00	25,750.00	27,083.73	5.18	12.36
2	करेत्तर राजस्व	8,871.00	9,250.00	13,851.21	49.74	56.14
योग		32,976.00	35,000.00	40,934.94	16.96	24.14

स्रोत: वित्त लेखे, बजट बुक तथा वित्त आयोग प्रतिवेदन

राज्य शासन पंद्रहवें वित्त आयोग के अपेक्षाओं को पूरा करने में 24.14 प्रतिशत और 16.96 प्रतिशत अपने स्वयं के संसाधनों को अपने स्वयं के बजट अनुमानों में निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध जुटाने में सफल रहा। स्वयं के कर राजस्व में वृद्धि (₹1,333.74 करोड़) मुख्य रूप से बजट में किए गए अनुमानों की तुलना में बिक्री, व्यापार आदि पर करों में ₹984.21 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई। इसी तरह, करेत्तर राजस्व में ₹4,601.21 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से बजट में किए गए अनुमानों की तुलना में अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग (₹5,705.39 करोड़) के तहत अधिक प्राप्तियों के कारण हुई।

2.4 संसाधनों का उपयोग

राज्य शासन को राजकोषीय जिम्मेदारी विधायी के ढांचे के भीतर व्यय का उत्तरदायित्व निहित है, जबकि साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य में चालू राजकोषीय सुधार और सुदृढीकरण प्रक्रिया पूँजीगत अधोसंरचना और सामाजिक क्षेत्र के विकास की दिशा में व्यय की लागत पर न हो।

2.4.1 व्यय की वृद्धि एवं संरचना

वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कुल व्यय, इसकी संरचना और सापेक्ष हिस्सेदारी तालिका 2.12 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.12: कुल व्यय और इसकी संरचना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मापदंड	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (बजट अनुमान)	2021-22 (वास्तविक)
1	कुल व्यय	66,600.54	73,555.31	82,099.86	79,107.54	97,106.45	85,838.04
2	राजस्व व्यय	56,229.75	64,411.17	73,477.31	70,032.84	83,027.55	75,010.01
3	पूँजीगत व्यय	10,000.96	8,903.45	8,566.39	9,024.19	13,839.35	10,504.22

4	ऋण एवं अग्रिम ⁴	369.83	240.69	56.16	50.51	239.55	323.81
5	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में						
6	सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित मूल्य पर	2,82,266	3,27,693	3,44,571	3,52,161	3,83,098	4,00,061
7	कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	23.59	22.45	23.83	22.46	25.35	21.46
8	राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	19.92	19.66	21.32	19.89	21.67	18.75
9	पूँजीगत व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3.54	2.72	2.49	2.56	3.61	2.63
10	ऋण एवं अग्रिम/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.13	0.07	0.02	0.01	0.06	0.08

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि राज्य का कुल व्यय 2017-18 में ₹66,600.54 करोड़ से ₹19,237.50 करोड़ (28.88 प्रतिशत) बढ़कर 2021-22 में ₹85,838.04 करोड़ हो गया। वर्ष 2020-21 को छोड़कर 2017-22 के दौरान कुल व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई। हालांकि, इसी अवधि के दौरान जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में कुल व्यय 23.59 प्रतिशत से घटकर 21.46 प्रतिशत हो गया। चालू वर्ष के दौरान, कुल व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में ₹6,730.50 करोड़ (8.51 प्रतिशत) की वृद्धि, राजस्व व्यय में ₹4,977.17 करोड़ (7.11 प्रतिशत), पूँजीगत व्यय में ₹1,480.03 करोड़ (16.40 प्रतिशत), ऋणों एवं अग्रिम में ₹273.30 करोड़ (541.08 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण हुई।


वर्ष 2021-22 के दौरान, राजस्व और पूँजी पर वास्तविक व्यय बजटीय अनुमानों से कम था जबकि ऋणों और अग्रिमों पर व्यय बजटीय अनुमानों से अधिक था। बजट अनुमानों से विचलन, सरकार के नियंत्रण के भीतर और बाहर, विभिन्न कारणों से वांछित राजकोषीय उद्देश्यों की गैर-प्राप्ति और गैर-अनुकूलन का संकेत है।

इसके अलावा, वर्ष 2021-22 के दौरान, जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय 19.89 प्रतिशत से घटकर 18.75 प्रतिशत हो गया है, जबकि पूँजीगत व्यय जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में पिछले वर्ष की तुलना में 2.56 प्रतिशत से बढ़कर 2.63 प्रतिशत हो गया है।

चार्ट 2.8 कुल व्यय में घटकों के हिस्से की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

चार्ट 2.8: कुल व्यय: इसके घटकों के हिस्से में प्रवृत्ति

(प्रतिशत में)



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

⁴ अंतर्राज्यीय परिशोधन सहित ऋण और अग्रिम

जैसा कि उपरोक्त चार्ट से यह स्पष्ट है, कि पूँजीगत व्यय और ऋण और अग्रिमों ने पिछले पांच वर्षों में अंतर-वर्ष के उतार-चढ़ाव के साथ आम तौर पर गिरावट की प्रवृत्ति प्रदर्शित की है।

गतिविधियों के संदर्भ में, कुल व्यय (परिशिष्ट 2.1 देखें) में ब्याज भुगतान सहित सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं और अन्य पर व्यय शामिल है। इन घटकों पर सापेक्ष व्यय तालिका 2.13 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.13: व्यय के विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा

(₹ करोड़ में)


क्र. सं.	मापदंड	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2020-21
1	सामान्य सेवायें	13,373.74	15,535.80	19,289.82	20,095.21	21,727.03
2	सामाजिक सेवायें	27,116.57	25,319.17	28,610.12	28,001.32	31,382.55
3	आर्थिक सेवायें	24,744.50	31,804.93	33,079.55	29,885.69	31,615.95
4	अन्य (स्थानीय निकायों को अनुदान और अंतर्राज्यीय परिशोधन)	1,365.73	895.41	1,120.37	1,125.32	1,112.51
कुल व्यय		66,600.54	73,555.31	82,099.86	79,107.54	85,838.04

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

- सामान्य सेवाओं पर व्यय 2020-21 में ₹20,095.21 करोड़ से ₹1,631.82 करोड़ (8.12 प्रतिशत) बढ़कर 2021-22 में ₹21,727.03 करोड़ हो गया, जिसका मुख्य कारण परिभाषित पेंशन अंशदान योजना में सरकारी अंशदान में ₹286.00 करोड़ और ब्याज भुगतान में ₹511.00 करोड़ पर व्यय में वृद्धि होना है।
- सामाजिक सेवाओं पर व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में ₹3,381.23 करोड़ (12.08 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्य रूप से सामान्य शिक्षा में ₹1,361.11 करोड़, चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य में ₹844.93 करोड़ और जल आपूर्ति और स्वच्छता में ₹534.62 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई।
- आर्थिक सेवाओं पर व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में ₹1,730.26 करोड़ (5.79 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण ग्रामीण रोजगार पर व्यय में ₹629.41 करोड़ और सड़क और पुलों पर ₹1,071.81 करोड़ की वृद्धि के कारण है।

चार्ट 2.9: कुल व्यय – गतिविधियों द्वारा व्यय

(प्रतिशत में)




स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि चार्ट 2.9 से देखा जा सकता है, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं ने 2021-22 के दौरान कुल व्यय का 73.39 प्रतिशत गठित किया। राज्य ने सामाजिक सेवाओं में अधिक राशि खर्च की है जबकि 2021-22 के दौरान कुल व्यय के गतिविधि घटकों के संबंध में सामान्य और आर्थिक सेवाओं में मामूली कमी देखी गई है। चार्ट 2.10, 2021-22 के दौरान व्यय की संरचना को दर्शाता है।

चार्ट 2.10: 2021-22 के दौरान कुल व्यय की संरचना

(प्रतिशत में)



स्रोत: वित्त लेखे 2021-22

चार्ट 2.10 प्रस्तुत करता है कि वर्ष 2021-22 के दौरान, सामाजिक सेवाओं के तहत राजस्व व्यय कुल व्यय का 32.58 प्रतिशत था, जिसके बाद आर्थिक सेवा 28.61 प्रतिशत और सामान्य सेवा 24.90 प्रतिशत थी। सामान्य, सामाजिक, आर्थिक सेवाओं और संवितरित ऋणों और अग्रिमों पर पूँजीगत व्यय कुल व्यय का 12.61 प्रतिशत था।

2.4.2 राजस्व व्यय

पूर्व के दायित्वों के भुगतान एवं सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाये रखने के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार यह राज्य के बुनियादी ढांचे और सेवा तंत्र की किसी भी तरह से वृद्धि नहीं करता है।

कुल राजस्व व्यय, इसकी वृद्धि दर, कुल व्यय और इसकी कुल व्यय का अनुपात एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष उतप्लावकता एवं राजस्व प्राप्तियों का उल्लेख तालिका 2.14 एवं राजस्व व्यय की प्रवृत्ति, बजट अनुमान और जीएसडीपी के संबंध में चार्ट 2.11 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.14: राजस्व व्यय—मूल मापदण्ड

(₹ करोड़ में)


क्र. सं.	मापदंड	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	कुल व्यय	66,600.55	73,555.31	82,099.86	79,107.54	85,838.04
2	राजस्व व्यय	56,229.75	64,411.17	73,477.31	70,032.84	75,010.01
3	राजस्व व्यय की वृद्धि दर (प्रतिशत)	16.74	14.55	14.08	(-)4.69	7.11
4	राजस्व व्यय का कुल व्यय से प्रतिशत	84.43	87.57	89.50	88.53	87.39
5	राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	19.92	19.66	21.32	19.89	18.75
6	राजस्व प्राप्तियाँ	59,647.07	65,094.93	63,868.70	63,176.18	79,652.03
7	राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	11.11	9.13	(-)1.88	(-)1.08	26.08

8	राजस्व व्यय की राजस्व प्राप्तियों से प्रतिशत	94.27	98.95	115.04	110.85	94.17
राजस्व व्यय का उत्प्लावकता अनुपात						
9	सकल राज्य घरेलू उत्पाद से	2.26	0.90	2.73	(-)2.13	0.52
10	राजस्व प्राप्तियों से	1.51	1.59	(-)7.49	4.34	0.27

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राजस्व व्यय कुल व्यय का प्रमुख घटक बना रहा और इसकी हिस्सेदारी वर्ष 2017-18 में 84.43 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 87.39 प्रतिशत हो गई। राज्य के राजस्व व्यय की वृद्धि दर 2017-18 में 16.74 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 7.11 प्रतिशत अंतर वर्ष उतार-चढ़ाव के साथ घटती प्रवृत्ति दिखाई दी। राजस्व व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान ₹4,977.17 करोड़ (7.11 प्रतिशत) की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण 2020-21 में वेतन और मजदूरी में ₹21,543.04 करोड़ से 2021-22 में ₹23,541.33 करोड़ की वृद्धि है। जीएसडीपी के साथ राजस्व व्यय उछाल जीएसडीपी में प्रतिशत परिवर्तन के लिए राजस्व व्यय में प्रतिशत परिवर्तन को मापता है। जैसा कि तालिका 2.14 से देखा जा सकता है, राजस्व व्यय उत्प्लावकता अनुपात जो वर्ष 2020-21 में (-)2.13 था, वर्ष 2021-22 में राजस्व व्यय की सकारात्मक वृद्धि दर के कारण बढ़कर 0.52 हो गया।

चार्ट 2.11: बजट अनुमान और जीएसडीपी के संबंध में राजस्व व्यय




स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है, पिछले पांच वर्षों अर्थात् 2017-18 से 2021-22 में राजस्व व्यय बजटीय अनुमानों के भीतर था। 2021-22 के दौरान, जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय पिछले वर्ष की तुलना में 19.89 प्रतिशत से घटकर 18.75 प्रतिशत हो गया है।

राजस्व व्यय का क्षेत्रीय वितरण चार्ट 2.12 में दिया गया है।

चार्ट 2.12: वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्व व्यय का क्षेत्रवार वितरण

(प्रतिशत में)



स्रोत: वर्ष 2021-22 के वित्त लेखे

2.4.2.1 राजस्व व्यय में प्रमुख परिवर्तन

तालिका 2.15 में चालू वर्ष और पिछले वर्ष के दौरान राज्य के राजस्व व्यय के विभिन्न लेखा शीर्षों में महत्वपूर्ण विविधता का विवरण दर्शाया गया है।

तालिका 2.15: राजस्व व्यय में महत्वपूर्ण विविधता का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखे के मुख्य शीर्ष	2020-21	2021-22	वृद्धि (+)/कमी (-)
1	2202 - सामान्य शिक्षा	13,964.06	15,332.29	1,368.23
2	2210 - चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	4,924.27	5,956.21	1,031.94
3	2505 - ग्रामीण रोजगार	971.90	1,601.31	629.41
4	2049 - ब्याज भुगतान	5,633.11	6,144.24	511.13
5	2406 - वन	1,039.07	1,300.58	261.51
6	2055 - पुलिस	3,909.77	4,265.75	355.98
7	2801 - विद्युत	4,393.81	3,800.00	(-)593.81
8	2515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2,453.72	2,096.79	(-)356.93

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

मुख्य शीर्ष 2202-सामान्य शिक्षा के अंतर्गत राजस्व व्यय में वर्ष के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि मुख्य रूप से सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर व्यय में वृद्धि के कारण हुई। मद 2210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य के अंतर्गत व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से जन स्वास्थ्य के घटकों जैसे रोगों की रोकथाम एवं नियंत्रण, जनजातीय उप-योजना आदि के व्यय में 123 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुई। इसके अलावा, पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान शीर्ष 2505-ग्रामीण रोजगार के तहत व्यय में वृद्धि जिला पंचायतों को प्रदान की जाने वाली सहायता पर व्यय में 70 प्रतिशत की वृद्धि के कारण हुई।

वर्ष 2021-22 के दौरान मुख्य शीर्ष 2801-विद्युत के तहत व्यय में कमी सामान्य एवं ग्रामीण विद्युतीकरण के तहत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना पर पिछले वर्ष की तुलना में कम व्यय के कारण हुई। चालू वर्ष के दौरान 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर व्यय में कमी मुख्य रूप से पिछले वर्ष की तुलना में ग्राम पंचायतों को सहायता और जनपद पंचायतों को सहायता पर व्यय में कमी के कारण थी।

2.4.2.2 प्रतिबद्ध एवं गैर-प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व खाते पर राज्य शासन के व्यय को प्रतिबद्ध और गैर-प्रतिबद्ध व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। राजस्व खाते पर शासन के प्रतिबद्ध व्यय में मुख्य रूप से वेतन और मजदूरी, ब्याज भुगतान, पेंशन और सब्सिडी पर व्यय शामिल है। प्रतिबद्ध व्यय के अलावा अन्य व्यय को गैर-प्रतिबद्ध व्यय में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रतिबद्ध व्यय में ऊपर की ओर की प्रवृत्ति शासन को विकास क्षेत्र के लिए कम लचीलेपन के साथ छोड़ देती है।

तालिका 2.16 वर्ष 2017-22 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय के घटकों में प्रवृत्ति प्रस्तुत करता है।

तालिका 2.16: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	प्रतिबद्ध व्यय के घटक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (बजट अनुमान)	2021-22 (वास्तविक)
1	वेतन एवं मजदूरी	13,183.70	17,807.60	21,763.92	22,002.14	25,121.65	24,017.18
2	पेंशन पर व्यय	3,923.58	5,428.50	6,637.98	7,136.00	6,580.76	7,472.22
3	ब्याज भुगतान	3,098.33	3,652.55	4,970.36	5,633.11	6,470.83	6,144.24
4	सब्सिडी	5,004.69	8,323.01	11,483.23	7,307.94	7,479.68	6,565.30
5	योग	25,210.30	35,211.66	44,855.49	42,079.19	45,652.92	44,199.54
6	राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में						
7	वेतन एवं मजदूरी	22.10	27.36	34.08	34.83	31.54	30.15
8	पेंशन पर व्यय	6.58	8.34	10.39	11.30	8.26	9.38
9	ब्याज भुगतान	5.19	5.61	7.78	8.92	8.12	7.71
10	सब्सिडी	8.39	12.79	17.98	11.57	9.39	8.24
11	योग	42.26	54.10	70.23	66.62	57.31	55.48
12	राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में						
13	वेतन एवं मजदूरी	23.45	27.65	29.62	31.41	33.49	32.02
14	पेंशन पर व्यय	6.98	8.43	9.03	10.19	8.77	9.96
15	ब्याज भुगतान	5.51	5.67	6.77	8.04	8.63	8.19
16	सब्सिडी	8.90	12.92	15.63	10.44	9.97	8.75
17	योग	44.84	54.67	61.05	60.08	60.86	58.92

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

प्रतिबद्ध व्यय राज्य को व्यय को प्राथमिकता देने और सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए पूंजी निवेश को पूरा करने में प्रभावित करता है। राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का उच्च अनुपात इंगित करता है कि नई योजनाओं के लिए अपने संसाधनों के आवंटन में राज्य के पास सीमित लचीलापन है। तालिका 2.16 से पता चलता है कि प्रतिबद्ध व्यय की प्रवृत्ति बढ़ रही है और 2017-18 में ₹25,210.30 करोड़ (राजस्व व्यय का 44.84 प्रतिशत) से बढ़कर 2021-22 में ₹44,199.54 करोड़ (राजस्व व्यय का 58.92 प्रतिशत) हो गया है। चालू वर्ष के दौरान, प्रतिबद्ध व्यय में ₹2,120.35 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से वेतन और मजदूरी के व्यय में वृद्धि के कारण हुई। वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान लोक ऋण में निरंतर वृद्धि के कारण वर्ष 2017-18 की तुलना में ब्याज भुगतान में वृद्धि (98.31 प्रतिशत) हुई है।

इसके अलावा, वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य शासन ने सब्सिडी के रूप में ₹6,565.30 करोड़ का भुगतान किया। सब्सिडी पर व्यय 2017-18 में ₹5,004.69 करोड़ से ₹1,560.61 करोड़ (31.18 प्रतिशत) बढ़कर 2021-22 में ₹6,565.30 करोड़ हो गया। इसमें केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत सब्सिडी के लिए ₹168.07 करोड़ की केंद्रीय सहायता भी शामिल है। वर्ष 2021-22 के दौरान ₹6,565.30 करोड़ की सब्सिडी (जो ₹7,479.68 करोड़ के बजट प्रावधान से कम था) राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय का क्रमशः 8.24 प्रतिशत एवं 8.75 प्रतिशत थी। राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के रूप में सब्सिडी 2020-21 में 11.57 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 8.24 प्रतिशत हो गई और राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में 2020-21 में 10.44 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 8.75 प्रतिशत हो गई। पिछले वर्ष 2020-21 की तुलना में 2021-22 के दौरान समग्र कमी (₹742.64 करोड़) मुख्य रूप से मुख्यमंत्री खाद्य सहायता योजना के तहत सब्सिडी में कमी के कारण थी। वर्ष 2021-22 के दौरान सब्सिडी के प्रमुख भाग वाले विभागों को तालिका 2.17 में दर्शाया गया है।


तालिका 2.17: वर्ष 2021-22 के दौरान सब्सिडी के बड़े हिस्से वाले विभाग

क्र. सं.	प्राप्तकर्ता विभाग का नाम	सब्सिडी (₹ करोड़ में)	कुल सब्सिडी का प्रतिशत	मुख्य उद्देश्य
1	ऊर्जा	2,243.00	34.16	पांच हार्स पावर तक के कृषि पंपों को मुफ्त बिजली की आपूर्ति के लिए अनुदान (₹1,075.00 करोड़) और घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में राहत (₹900 करोड़)
2	खाद्य और नागरिक आपूर्ति	3,675.95	55.98	राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन (₹1,005.25 करोड़) एवं मुख्यमंत्री खाद्य सहायता योजना (₹2,382.99 करोड़) की हानियों को पूरा करने हेतु अनुदान के मद में

स्रोत: वित्त लेखे 2021-22

प्रतिबद्ध व्यय की प्रवृत्ति, बजट अनुमान और जीएसडीपी के संबंध में चार्ट 2.13 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.13: बजट अनुमान और जीएसडीपी के संबंध में प्रतिबद्ध व्यय




स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है, प्रतिबद्ध व्यय ने 2020-21 के दौरान को छोड़कर पिछले पांच वर्षों के दौरान बढ़ती प्रवृत्ति दिखाई है। प्रतिबद्ध व्यय पांच वर्षों के दौरान अनुमानित बजट आंकड़ों के भीतर रहा, वर्ष 2018-19 और 2019-20 के दौरान यह बजट अनुमानों से अधिक रहा।

वर्ष 2017-22 के दौरान राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के लिए प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत चार्ट 2.14 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.14: राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध और गैर-प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा

(प्रतिशत में)



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

जैसा कि उपरोक्त चार्ट 2.14 से देखा जा सकता है, कुल राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय का हिस्सा 2017-18 में 44.84 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 58.92 प्रतिशत हो गया। प्रतिबद्ध व्यय का अनुपात भी 2017-18 में 42.26 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में राजस्व प्राप्तियों का 55.48 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा, गैर-प्रतिबद्ध व्यय 2017-18 में 55.16 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 41.08 प्रतिशत हो गया।

2.4.2.3 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अनिर्धारित देयता

वर्ष 2021-22 के दौरान, पेंशन भुगतान पर व्यय ₹7,472.22 करोड़ था, जिसमें से 1 जनवरी 2005 को या उसके बाद भर्ती किए गये कर्मचारियों के लिए लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस) में ₹1,282.75 करोड़ व्यय किए गए थे।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस)

शासकीय कर्मचारी जो 1 नवम्बर 2004 को या इसके पश्चात नियुक्त हुए हैं उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत शामिल किया गया जो कि एक परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है। इस योजना के अनुसार कर्मचारी अपना मूलवेतन एवं मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत का अंशदान करता है एवं इसके समतुल्य राज्य शासन का अंशदान होता है तथा संपूर्ण राशि निश्चित निधि प्रबंधक के माध्यम से नेशनल सिविलियोरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) / न्यासी बैंक में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

दिसम्बर 2004 से फरवरी 2006 की अवधि के अंशदान का बकाया राशि के साथ माह मार्च 2006 से कर्मचारियों के अंशदानों के कटौती राशि के साथ राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की शुरुआत हुई। वर्ष 2021-22 के दौरान मुख्य शीर्ष 8342 अन्य जमा राशियों-(117) परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के तहत प्राप्तियाँ ₹1,296.61⁵ करोड़ थी, जिसमें से ₹1,291.00 करोड़ एन.एस.डी.एल को हस्तांतरित की गई थी, जिसके

⁵ ₹1,286.67 करोड़ कर्मचारियों के योगदान से संबंधित है और ₹9.93 करोड़ प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के कर्मचारी और नियोक्ता योगदान से संबंधित है,

परिणामस्वरूप ₹5.61 करोड़ का कम हस्तांतरण हुआ। 31 मार्च 2022 की स्थिति में एन.एस.डी.एल./न्यासी बैंक को ₹37.78 करोड़ का हस्तांतरण लंबित रहते हुए लोक लेखों में पड़ी रही। ₹5.61 करोड़ के कम अंशदान और ₹32.17 करोड़ के गैर-हस्तांतरण के परिणामस्वरूप राज्य शासन को ₹37.78 करोड़ की परिहार्य देयता का अनावश्यक सृजन हुआ और उस सीमा तक कर्मचारियों के देय लाभ के संबंध में अनिश्चितता पैदा हुई।

पेंशन निधि विनियामक विकास प्राधिकरण द्वारा पेंशन निधि के विनियमन का कार्य प्रारंभ होने के बाद, राज्य शासन के अंशदान को मुख्य शीर्ष 2071 से डेबिट किया जाता है और मुख्य शीर्ष 8342-117 के माध्यम से रूट किए बिना इसे सीधे ट्रस्टी बैंक में स्थानांतरित कर दिया जाता है। कर्मचारियों के ₹1,286.67 करोड़ के अंशदान के विरुद्ध, राज्य शासन ने केवल ₹1,282.75 करोड़ का अंशदान किया, परिणामस्वरूप पेंशन योजना के निर्धारित अंशदान में ₹3.92 करोड़ का कम अंशदान हुआ।

2.4.2.4 राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को पिछले पाँच वर्षों के दौरान अनुदान एवं ऋण के माध्यम से वित्तीय सहायता की मात्रा तालिका 2.18 में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 2.18: स्थानीय निकायों आदि के लिए वित्तीय सहायता

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	संस्थानों को वित्तीय सहायता	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	(अ) स्थानीय निकाय					
2	नगर निगम एवं नगरपालिका	3,425.75	2,778.73	3,138.94	3,554.17	3,904.13
3	पंचायती राज संस्थान	10,899.36	6,905.17	6,006.83	4,421.79	4,345.60
4	योग (अ)	14,325.11	9,683.90	9,145.77	7,975.96	8,249.73
5	(ब) अन्य					
6	शैक्षणिक संस्थान (सहायता प्राप्त विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि)	235.45	170.44	273.67	204.97	254.57
7	विकास प्राधिकरण	287.03	271.41	235.06	229.93	393.08
8	सहकारी एवं अन्य संस्थान एवं गैर सरकारी संगठन	10,155.72	13,255.70	10,499.70	12,555.37	13,241.09
9	योग (ब)	10,638.20	13,697.55	11,008.43	12,990.27	13,888.74
10	योग (अ+ब)	24,963.31	23,381.45	20,154.20	20,966.23	22,138.47
11	राजस्व व्यय	56,229.75	64,411.17	73,477.31	70,032.84	75,010.01
12	राजस्व व्यय के प्रतिशत रूप में सहायता	44.40	36.30	27.43	29.94	29.51


स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

स्थानीय निकायों और अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता ने 2020-21 तक घटती प्रवृत्ति दिखाई है और 2020-21 में ₹20,966.23 करोड़ से ₹1,172.24 करोड़ बढ़कर 2021-22 में ₹22,138.47 करोड़ हो गई है। 2021-22 के दौरान, स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता में पिछले वर्ष की तुलना में ₹273.77 करोड़ की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण शहरी स्थानीय निकायों को अधिक सहायता प्रदान करना है। राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में राज्य शासन द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता वर्ष 2017-18 के 44.40 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2021-22 में 29.51 प्रतिशत रह गई है।

2.4.3 पूँजीगत व्यय

पूँजीगत व्यय में मुख्य रूप से स्थायी अधोसंरचना जैसे भवन, सड़क, सेतु, आदि के निर्माण पर व्यय शामिल है। पाँच वर्ष की अवधि 2017-22 के दौरान बजट अनुमानों के विरुद्ध पूँजीगत व्यय का विवरण चार्ट 2.15 में दिया गया है।

चार्ट 2.15: राज्य में पूँजीगत व्यय



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

पूँजीगत व्यय पिछले पांच वर्षों के दौरान 2017-18 में ₹10,000.96 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹10,504.22 करोड़ हो गया। हालांकि, राज्य 2017-18 से 2021-22 तक संपत्ति निर्माण के बजट अनुमान को पूरा नहीं कर सका। 2021-22 के दौरान, पूँजीगत व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 16.40 प्रतिशत (₹1,480.03 करोड़) की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण जल जीवन मिशन योजना, और राज्य राजमार्ग सड़क निर्माण कार्यों में व्यय में वृद्धि है।

2021-22 के दौरान, कुल पूँजीगत व्यय (₹10,504.22 करोड़) का 42 प्रतिशत सड़कों और पुलों (₹4,415.62 करोड़) पर खर्च किया गया, इसके बाद जल आपूर्ति और स्वच्छता पर 13.56 प्रतिशत (₹1,424.47 करोड़) खर्च किया गया।

2.4.3.1 पूँजीगत व्यय में प्रमुख परिवर्तन

तालिका 2.19 पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2021-22 में पूँजीगत व्यय के विभिन्न लेखा शीर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि या कमी के मामले पर प्रकाश डालती है।

तालिका 2.19: वर्ष 2020-21 की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान पूँजीगत व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखे के मुख्य शीर्ष	2020-21	2021-22	वृद्धि (+)/कमी(-)
1	5054-सड़क एवं पुल पर पूँजीगत परिव्यय	3,351.28	4,415.62	1,064.34
2	4215-जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय	907.93	1,424.47	516.54
3	4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	52.11	327.95	275.84
4	5275- अन्य संचार सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	70.00	200.00	130.00
5	4059-लोक निर्माण पर पूँजीगत परिव्यय	400.11	247.43	(-)152.68

6	4210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	511.71	324.70	(-)187.01
7	4515— अन्य ग्रामीण विकास पर पूँजीगत परिव्यय	350.57	271.28	(-)79.29

स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2020-21 एवं 2021-22

सड़कों और पुलों पर व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से राज्य राजमार्ग पुलों और सड़क निर्माण परियोजनाओं के तहत नए कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति के कारण हुई। जल आपूर्ति और स्वच्छता पर व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से जल जीवन मिशन योजना और शहरी निकायों की जल संवर्धन योजना के तहत व्यय में वृद्धि के कारण हुई। आगे, विद्युत परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि मुख्य रूप से मुख्यमंत्री माजरा टोला विद्युतीकरण योजना में वृद्धि के कारण तथा अन्य संचार सेवाओं पर व्यय में वृद्धि लम्बित बिलों के भुगतान के कारण हुई।

वर्ष 2021-22 के दौरान प्रमुख शीर्ष 4210—चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय तथा मुख्य शीर्ष 4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत व्यय में कमी कार्य के प्रशासनिक अनुमोदन में विलम्ब के कारण थी। लोक निर्माण पर व्यय में कमी मुख्य रूप से अद्योसंरचना विकास निधि और पर्यावरण निधि पर व्यय में कमी के कारण थी।

2.4.3.2 पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता

यह अनुभाग 31 मार्च 2022 तक शासन द्वारा किए गए निवेशों और अन्य पूँजीगत व्यय का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

कंपनियों, निगमों और अन्य निकायों में निवेश की गुणवत्ता

कंपनियों, निगमों एवं अन्य निकायों, जो घाटे में चल रहे हैं या जिनकी निवल संपत्ति पूरी तरह से खत्म हो गयी हो उसका वहन नहीं किया जा सकता।

कंपनियों, निगमों और सहकारी समितियों को दिए गए निवेश और ऋण, जो घाटे में चल रहे हैं और जिनकी निवल सम्पत्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई है वह पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश की गई शेयर पूँजी का निवेश का प्रतिफल विभिन्न निकायों को दिये गए ऋणों के पुनर्भुगतान का इतिहास पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निवेश की गुणवत्ता से संबंधित मुद्दे अर्थात्, सार्वजनिक क्षेत्र में निवेश, निवेश पर प्रतिफल की दर, निवल संपत्ति का क्षरण, लाभांश भुगतान, नियोजित पूँजी पर प्रतिफल आदि रिपोर्ट के पंचम अध्याय में विस्तार से चर्चा की गई है।

निवेश और प्रतिफल

वित्त लेखा वर्ष 2021-22 के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन ने 10 सांविधिक निगमों, 28 सरकारी कंपनियों, 22 संयुक्त स्टॉक कंपनियों, दो ग्रामीण बैंकों और 1,460 सहकारी समितियों एवं स्थानीय निकायों में 31 मार्च 2022 तक ₹7,320.19 करोड़ का निवेश किया था। राज्य शासन ने वर्ष 2021-22 के दौरान इन निवेशों पर ₹3.64 करोड़ की वापसी अर्जित की। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 की अवधि में निवेश का वर्षवार विवरण इस प्रकार है:

तालिका 2.20: निवेशों का विवरण तथा निवेशों पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निवेश/प्रतिफल/उधार की लागत	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	सांविधिक निगम (ईकाइयों की संख्या)	37.82(02)	86.92(10)	87.88(10)	88.34(10)	89.69(10)
2	सरकारी कंपनियों (ईकाइयों की संख्या)	6,459.45(13)	6,683.34(28)	6,683.34(28)	6,683.34(28)	6,733.34(28)
3	संयुक्त स्टॉक कंपनियों (ईकाइयों की संख्या)	144.80(05)	145.21(22)	145.21(22)	145.21(22)	156.93(22)
4	ग्रामीण बैंक (ईकाइयों की संख्या)	25.15(01)	25.15(02)	25.15(02)	25.15(02)	25.15(02)
5	सहकारी संस्थाएं तथा स्थानीय निकाय (ईकाइयों की संख्या)	199.15(1523)	327.42(1523)	324.21(1460)	319.26(1460)	315.08(1460)
6	कुल निवेश	6,866.37	7,268.05	7,265.79	7,261.30	7,320.19
7	वर्ष के अन्त में निवेश	6,866.37	7,268.05	7,265.79	7,261.30	7,320.19
8	निवेश पर प्रतिफल	4.80	1.49	2.39	2.29	3.64
9	निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत में)	0.07	0.02	0.03	0.03	0.05
10	शासकीय उधार पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत में)	6.38	6.10	6.83	6.57	6.40
11	ब्याज दर एवं प्रतिफल के बीच अंतर (प्रतिशत में)	6.31	6.08	6.80	6.54	6.35
12	बाजार ऋण के ब्याज दर एवं प्रतिफल पर प्राप्त ब्याज के बीच अंतर से हानि	433.27	442.15	493.86	474.89	464.85

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े संस्थाओं की संख्या दर्शाते हैं

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2021-22 के दौरान निवेश पर प्रतिफल ₹3.64 करोड़ (0.05 प्रतिशत) था। जबकि राज्य शासन ने इसी अवधि के दौरान अपने उधार पर 6.40 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया। निवेश के लिए उधार ली गई धनराशि का निरंतर उपयोग जिसमें पर्याप्त वित्तीय प्रतिफल नहीं है, एक अस्थिर वित्तीय स्थिति का कारण बनेगा।

राज्य शासन द्वारा ऋण और अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों और कंपनियों में निवेश के अलावा राज्य शासन ने कई संस्थानों/संगठनों को ऋण और अग्रिम भी प्रदान किए हैं। तालिका 2.21 31 मार्च 2022 के स्थिति में विगत पाँच वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 की अवधि के दौरान बकाया ऋणों और अग्रिमों के साथ-साथ ब्याज प्राप्तियों के विरुद्ध ब्याज भुगतान को प्रस्तुत करती है।

तालिका 2.21: वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान ऋणों का वितरण एवं वसूली की मात्रा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वितरित एवं वसूली ऋणों की प्रमात्रा	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	बकाया ऋणों का प्रारंभिक शेष	941.98	1,519.63	1,597.75	1,397.08	1,173.86 ⁶
2	वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम	368.76	240.44	56.11	50.50	324.06
3	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान राशि	138.59	162.32	256.78	104.80	88.06
4	बकाया ऋणों का अंतिम शेष	1,172.16	1,597.75	1,397.08	1,342.78	1,409.86

⁶ पावर कंपनी के वित्त खाते और खाते के आंकड़ों के बीच ऋण शेष के मिलान के कारण राज्य सरकार के पत्र संख्या 523/आर-110/2020/13/2 दिनांक 23-02-2022 द्वारा ₹168.92 करोड़ कम किया गया। ₹168.92 करोड़ में वर्ष 2017-18 में राज्य सरकार की शेयर पूंजी के रूप में समायोजित ऋण का ₹136.78 करोड़ तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा 2004-05 एवं 2005-06 के दौरान ब्याज के अतिरिक्त भुगतान का ₹32.14 करोड़ ऋण की अदायगी के रूप में समायोजित शामिल है।

5	निवल वृद्धि	230.17	78.12	(-)200.67	(-)54.30	236.00
6	ब्याज प्राप्तियाँ	27.61	28.32	1.67	6.88	3.27
7	शासन द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों का ब्याज दर	2.17	2.04	0.11	0.50	0.24
8	शासन के बकाया उधार पर भुगतान किये गये ब्याज का दर	6.38	6.10	6.83	6.57	6.40
9	ब्याज प्राप्तियाँ एवं ब्याज भुगतान के दरों में अंतर (प्रतिशत)	4.21	4.06	6.72	6.07	6.16

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान वितरित ऋण में वृद्धि हुई है। दिए गए ऋण पर राज्य शासन द्वारा प्राप्त ब्याज ₹3.27 करोड़ था। मार्च 2022 के अंत में, सरकार के पास ₹1,409.86 करोड़ के ऋण और अग्रिम बकाया थे, जिनमें से ₹324.61 करोड़ शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित हैं, ₹213.01 करोड़ सरकारी कंपनियों से संबंधित हैं और ₹427.43 करोड़ सहकारी समितियों/निकायों से संबंधित हैं।

इसके अलावा, शासन ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित चीनी मिलों को नया ऋण और अग्रिम का भुगतान किया, जिनके विरुद्ध पूर्व से ही ऋणों की अदायगी बकाया है।

तालिका 2.22: वर्ष 2021-22 के दौरान चीनी मिलों को दिए गए ऋण और अग्रिम का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	नाम	पिछले बकाया ऋणों का वर्ष	1 अप्रैल 2021 तक बकाया मूलधन की राशि	इस वर्ष के दौरान ऋण की राशि	इस वर्ष के दौरान किया गया पुनर्भुगतान	31 मार्च 2022 तक कुल बकाया राशि	31 मार्च 2022 तक बकाया ब्याज
1	लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल चीनी मिल लिमिटेड	2017-18	95.00	13.00	2.00	106.00	31.15
2	भोरमदेव सहकारी चीनी मिल लिमिटेड	2016-17	77.00	13.00	2.00	88.00	13.49
3	महामाया सहकारी चीनी मिल लिमिटेड	2010-11	103.67	17.00	10.00	110.67	26.73
4	दंतेश्वरी मैया सहकारी चीनी मिल, लिमिटेड	2011-12	74.83	7.00	0.25	81.58	34.59

स्रोत: वित्त लेखे 2021-22

2.4.3.3 अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी

अपूर्ण पूँजीगत कार्यों में अवरुद्ध पूँजी के प्रवृत्ति का आंकलन भी पूँजीगत व्यय की गुणवत्ता को इंगित करता है। अपूर्ण परियोजनाओं/कार्यों पर निधियों को अवरोधन नकारात्मक रूप से व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित करता है और राज्य को लंबे समय तक वांछित लाभों से वंचित करता है। इसके अलावा, संबंधित वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए उधार जो धन लिया, वह ऋण और ब्याज देनदारियों की अदायगी के मामले में अतिरिक्त बोझ की ओर ले जाती है।

अनुमानित लागत ₹15,638.78 करोड़ की कुल 357 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। जिनमें से 148 परियोजनाओं की पहचान की गई थी जिन्हें 31 मार्च 2022 को या उससे पहले पूरा किया जाना था और जिनकी लागत ₹10 करोड़ और उससे अधिक थी। अपूर्ण परियोजनाओं का वर्षवार एवं विभागवार विवरण क्रमशः तालिका 2.23 एवं तालिका 2.24 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.23: 31 मार्च 2022 तक अधूरी परियोजनाओं की आयु रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	व्यय (31 मार्च 2022 तक)
1	2011 तक	12	291.21	384.87
2	2011-12	16	468.53	973.79
3	2012-13	8	322.86	544.95
4	2013-14	13	939.35	1,146.43
5	2014-15	14	315.74	281.04
6	2015-16	21	584.90	682.06
7	2016-17	11	330.71	312.19
8	2017-18	23	504.14	609.87
9	2018-19	12	366.72	339.26
10	2019-20	11	157.33	182.11
11	2020-21	5	323.34	66.90
12	2021-22	3	64.84	10.05
योग		148	4,667.24	5,493.35

स्रोत: वित्त लेखे 2021-22

तालिका 2.24: विभागवार अपूर्ण परियोजनाओं की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	49 अपूर्ण परियोजनाएं जिनकी लागत पुनरीक्षित की गई				31 मार्च 2022 को 148 अपूर्ण परियोजनाओं का संचयी व्यय
				49 परियोजनाओं की प्रारंभिक अनुमानित लागत		49 परियोजनाओं की संशोधित लागत	49 परियोजनाओं की अतिरिक्त लागत	
				क्र.	राशि			
1	लोक निर्माण	10	417.43	02	151.61	551.20	399.59	514.37
2	जल संसाधन	138	4,249.81	47	1,764.68	3,617.75	1,856.07	4,978.98
योग		148	4,667.24	49	1,913.29	4,168.95	2,255.66	5,493.35

स्रोत: वित्त लेखे 2021-22

राज्य शासन ने ₹4,667.24 करोड़ की अनुमानित लागत वाली 148 अपूर्ण परियोजनाओं (₹10 करोड़ से अधिक की लागत) में से, ₹2,255.66 करोड़ की लागत वृद्धि वाली 49 अपूर्ण परियोजनाओं की लागत में संशोधन किया है। परियोजना कार्यों के पूरा होने में देरी से लागत में वृद्धि का खतरा बढ़ जाता है। चूंकि राज्य शासन ने 99 अपूर्ण परियोजनाओं की लागत का मूल्यांकन नहीं किया था, इसलिए राज्य द्वारा किए जाने वाले व्यय की वास्तविक राशि का पता नहीं लगाया जा सका और इन परियोजनाओं के पूरा होने में देरी के कारण, परियोजनाओं से अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं किया जा सका।

2.4.4 व्यय प्राथमिकताएं

मानव विकास के स्तर को बढ़ाने के लिए राज्यों को शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि जैसी प्रमुख सामाजिक सेवाओं पर अपना व्यय को बढ़ाने की आवश्यकता होती है। कम राजकोषीय प्राथमिकता (किसी एक श्रेणी में कुल व्यय का सकल व्यय का अनुपात) एक विशेष क्षेत्र से जुड़ी है, यदि आबंटन संबंधित राष्ट्रीय औसत से नीचे है। इन घटकों का कुल व्यय से जितना अधिक अनुपात होगा उतना ही व्यय की गुणवत्ता को बेहतर मानी जाती है।

तालिका 2.25 में वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक सेवाओं के व्यय और पूँजीगत व्यय के संबंध में राज्य शासन की राजकोषीय प्राथमिकताओं को दर्शाया गया है।

तालिका 2.25: राज्य के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पूँजीगत व्यय की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

क्र. सं.		टीई /स.रा.घ.उ.	एसएसई /टीई	ईएसई /टीई	डीई /टीई	सीई /टीई	शिक्षा /टीई	स्वास्थ्य /टीई
1	औसत (अनुपात) 2017-18							
2	सामान्य श्रेणी राज्य [#]	16.13	36.65	31.17	67.82	15.56	15.17	5.09
3	छत्तीसगढ़	23.59	40.72	37.15	77.87	15.57	18.64	6.02
4	औसत (अनुपात) 2021-22							
5	सामान्य श्रेणी राज्य [#]	15.84	38.31	28.44	66.74	14.41	14.66	6.20
6	छत्तीसगढ़	21.46	36.56	36.83	73.39	12.61	18.54	7.63

टीई: कुल व्यय, एसएसई: सामाजिक क्षेत्र पर व्यय, डीई-विकास व्यय, सीई: पूँजीगत व्यय, ईएसई: आर्थिक क्षेत्र व्यय, विकास व्यय के अंतर्गत विकासात्मक राजस्व व्यय, विकासात्मक पूँजीगत व्यय एवं वितरित विकासात्मक ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है। [#]पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्य

स्रोत : आर्थिक सलाहकार से प्राप्त आंकड़े


- सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में छत्तीसगढ़ का कुल व्यय सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से अधिक था।
- छत्तीसगढ़ के कुल व्यय में विकास, विशेषकर स्वास्थ्य और शिक्षा पर व्यय का अनुपात अन्य सामान्य राज्यों के औसत से अधिक रहा है।
- राज्य शासन द्वारा सामाजिक क्षेत्र के व्यय को दी गई आवंटन प्राथमिकता 40.72 प्रतिशत (2017-18) से घटकर 36.56 प्रतिशत (2021-22) हो गई और यह चालू वर्ष में सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम थी। वर्ष 2021-22 के बजट अनुमानों की तुलना में मुख्य शीर्ष 2202-सामान्य शिक्षा (₹2,069 करोड़), 2215-जल आपूर्ति और स्वच्छता (₹488 करोड़) और 2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (₹281 करोड़) में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आदि के तहत व्यय में महत्वपूर्ण कमी देखी गई।
- राज्य शासन द्वारा पूँजीगत व्यय को दी गई आवंटन प्राथमिकता 2021-22 में सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम थी।

2.4.5 उद्देश्य शीर्ष वार व्यय

वित्त लेखा केवल लघु शीर्ष स्तर तक के लेनदेन दर्शाते हैं। उद्देश्य शीर्ष वार व्यय, व्यय के उद्देश्य के बारे में जानकारी देता है। वर्ष 2021-22 के कुल व्यय के संदर्भ में प्रतिशत वार उद्देश्य शीर्ष व्यय नीचे चार्ट 2.16 में दिखाया गया है:

चार्ट 2.16: उद्देश्य शीर्ष वार व्यय

(प्रतिशत में)



स्रोत: वित्त लेखे 2021-22

जैसा कि उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है, उद्देश्य शीर्ष वेतन और भत्ते, सहायता अनुदान और पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ के तहत कुल व्यय ₹85,514.23 करोड़ ('ऋण और अग्रिम' और अंतर्राष्ट्रीय परिशोधन पर व्यय को छोड़कर) का 61.10 प्रतिशत था। इसके अलावा, वित्तीय सहायता, ब्याज/ऋण अदायगी और निर्माण कार्य व्यय का क्रमशः 7.68 प्रतिशत, 7.55 प्रतिशत और 4.61 प्रतिशत था।

उद्देश्य शीर्ष स्तर पर वास्तविक मदों पर किए गए बजटीय आवंटन और व्यय की सीमा (₹1,000 करोड़ से ऊपर) की एक ड्रिल डाउन व्यू नीचे तालिका 2.26 में दी गई है।

तालिका 2.26: बजट आंबटन के विरुद्ध उद्देश्य शीर्ष वार व्यय (जहाँ व्यय ₹1000 करोड़ और उससे अधिक है) (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	शीर्ष	मूल बजट अनुमान	व्यय	प्रतिशत उपयोग
1	14-सहायता अनुदान	25,580.38	22,163.89	86.64
2	01-वेतन एवं भत्ते	25,121.65	22,639.42	90.12
3	12-पेंशन एवं सेवा निवृत्ति से लाभ	6,580.76	7,450.26	113.21
4	13-वित्तीय सहायता	7,479.68	6,565.30	87.78
5	35-ब्याज/ऋण का पुनर्भुगतान	6,913.07	6,458.51	93.42
6	97-निर्माण कार्य	5,946.02	3,940.15	66.27
7	26-वृहद निर्माण कार्य	4,698.95	3,516.25	74.83
8	25-सामग्री और पूर्तियाँ	3,174.04	3,142.14	98.99
9	45-पूँजीगत परि-संपत्तियों का निर्माण	2,491.83	2,227.04	89.37
10	37-अंतः लेखा अन्तरण	2,129.14	1,587.42	74.56
11	27-लघु निर्माण कार्य	1,369.67	1,031.70	75.32
योग		91,485.19	80,722.08	88.24

स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2021-22

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, 11 उद्देश्य शीर्षों के तहत ₹91,485.19 करोड़ के कुल बजटीय आवंटन में से, वर्ष 2021-22 के दौरान वास्तविक व्यय केवल ₹80,722.08 करोड़ (88.24 प्रतिशत) था।

2.5 लोक लेखा

लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा, उचंत, प्रेषण आदि जैसे कुछ लेन-देन के संबंध में प्राप्तियाँ और संवितरण, जो समेकित निधि का हिस्सा नहीं बनते हैं उन्हें, संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत लोक लेखे में रखे जाते हैं और राज्य विधानमंडल द्वारा मतदान के अधीन नहीं हैं। शासन इनके संबंध में बैंकर के रूप में कार्य करती है। वर्ष के दौरान संवितरण के बाद शेष राशि विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग के लिए शासन के पास उपलब्ध रहती है।

2.5.1 शुद्ध लोक लेखा

लोक लेखे के तहत प्राप्तियों और संवितरण की स्थिति वित्त लेखों के विवरण 21 में प्रदर्शित की जाती है। संबंधित वर्षों के 31 मार्च तक राज्य के लोक लेखा में घटक-वार शुद्ध शेष नीचे तालिका 2.27 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.27: वर्ष के 31 मार्च तक लोक लेखा में घटक-वार शुद्ध शेष

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र	उप-क्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	ज्ञ-अल्प बचत, भविष्य निधि, आदि	राष्ट्रीय लघु बचत निधि, राज्य भविष्य निधि एवं अन्य लेखे	(+)6,077.89	(+)6,832.41	(+)7,617.67	(+)8,021.40	(+)8,020.50
2	त्र-आरक्षित निधियाँ	(क) ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ	(+)202.83	(+)400.70	(+)1,101.77	(+)614.84	(+)769.36
		(ख) बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ	(+)1,387.39	(+)1,254.83	(+)1,363.00	(+)1,384.75	(+)1,683.77
3	ट-जमा तथा अग्रिम	(क) ब्याज वाली जमा	(+)49.69	(+)42.90	(+)37.29	(+)33.16	(+)28.27
		(ख) बिना ब्याज वाली जमा	(+)6,189.04	(+)5,964.44	(+)5,446.01	(+)5,951.96	(+)5,758.23
		(ग) अग्रिमों	(-)1.74	(-)1.75	(-)1.84	(-)1.84	(-)7.35
4	ठ-उचंत तथा विविध	(क) उचंत	(+)57.24	(+)35.96	(+)29.66	(+)20.08	(+)84.64
		(ख) अन्य लेखे	(-)4,022.35	(-)9,711.03	(-)5,199.46	(-)3,344.86	(-)3,299.78
		(ग) विदेशी सरकार के साथ लेखे	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(घ) विविध	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ड-प्रेषण	(क) धनादेश तथा अन्य प्रेषण	(-)171.17	(-)297.90	(-)204.48	(-)240.97	(-)245.09
		(ख) अर्त-सरकार समायोजन लेखे	(-)65.49	(+)61.19	(-)73.82	(-)88.41	(-)91.13
योग			9,703.33	4,581.75	10,115.80	12,350.11	12,701.42

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे


नोट: (+) क्रेडिट बैलेंस को दर्शाता है; (-) डेबिट बैलेंस को दर्शाता है

पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में लोक खाते में शुद्ध शेष राशि में ₹351.31 करोड़ की वृद्धि मुख्य रूप से आरक्षित निधियों में ब्याज वाली राशि में ₹154.52 करोड़, आरक्षित निधियों बिना ब्याज वाली राशि में ₹299.02 करोड़ की वृद्धि के कारण हुई, जो कि बिना ब्याज वाली जमाराशियों में ₹193.73 करोड़ की कमी के कारण प्रतिसंतुलित था।

पिछले पांच वर्षों की अवधि 2017-22 में लोक लेखा में शेष राशि की संरचना में वार्षिक परिवर्तन चार्ट 2.17 में दिए गए हैं:

चार्ट 2.17: लोक लेखा राशि की संरचना में वार्षिक परिवर्तन

(प्रतिशत में)



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

नोट: ऊपर दिए गए चार्ट में दर्शाए गए वार्षिक परिवर्तनों में प्रमुख शीर्ष-8671 विभागीय शेष, 8673-नकदी शेष निवेश खाता और आरक्षित निधि निवेश खाते में परिवर्तन शामिल नहीं हैं।

2019-20 के दौरान, आरक्षित निधि में उच्च परिवर्तन भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय क्षतिपूरक वनीकरण जमा से हस्तांतरित प्रतिपूरक वनीकरण निधि (कैम्पा) के तहत ₹5,791.70 करोड़ की प्राप्ति और कैम्पा निधियों के निवेश पर ₹81.25 करोड़ के ब्याज के कारण था।

2.5.2 आरक्षित निधि

आरक्षित निधि राज्य शासन के लोक लेखा के तहत विशिष्ट और परिभाषित उद्देश्यों के लिए बनाई जाती है। इन निधियों की पूर्ति राज्य के समेकित निधि से योगदान या अनुदान से की जाती है।

विशिष्ट उद्देश्य के लिए वर्ष 2000-2001 (राज्य के गठन से) से 17 आरक्षित निधियाँ रख गई थी, जिसमें से 31 मार्च 2022 की स्थिति में 14 निधियाँ संचालित थीं और तीन निधियाँ असंचालित थी। इन निधियों में 31 मार्च 2022 के अंत में सकल शेष ₹9,627.40 करोड़ था, जिसमें से ₹7,174.27 करोड़ (74.52 प्रतिशत) भारत सरकार के प्रतिभूति और ट्रेजरी बिल (₹7,020.35 करोड़) और संयुक्त उद्यम कंपनियों की शेयर पूंजी (₹153.92 करोड़) में निवेश किया गया था।

आरक्षित निधि में स्थानांतरण और संवितरण, डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टियों के माध्यम से समेकित निधि के तहत उपयुक्त राजस्व और व्यय शीर्षों से प्रभावित होते हैं। ये वास्तविक नकदी हस्तांतरण का प्रतिनिधित्व केवल तभी करते हैं जब वे रिजर्व बैंक डिपॉजिट को सीधे या निवेश के माध्यम से प्रभावित करते हैं। चूंकि कोई वास्तविक नकदी बहिर्वाह नहीं था, इसलिए आरक्षित निधि के विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दर्शाए गए ये लेनदेन केवल पुस्तक प्रविष्टियाँ हैं, जो आरक्षित निधि के निर्माण और संचालन में अंतर्निहित भावना का उल्लंघन करते हैं।

2.5.2.1 संचित निक्षेप निधि

बारहवें वित्त आयोग के अनुशंसा पालन में सभी ऋण जैसे बैंको से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि के देयताओं आदि के परिशोधन हेतु राज्य ने संचित निक्षेप निधि का गठन किया। साथ ही, 12वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार वर्ष के शुरुआत में बकाया देनदारियों का 0.50 प्रतिशत का न्यूनतम वार्षिक अंशदान, निधि में स्थानांतरण करने की आवश्यकता थी।

वर्ष 2021-22 के दौरान छत्तीसगढ़ शासन को न्यूनतम ₹463.57 करोड़ (31 मार्च 2021 तक ₹92,714.22 करोड़ का बकाया देयता का 0.50 प्रतिशत) संचित निक्षेप निधि में हस्तांतरित करना था, जिसके विरुद्ध केवल ₹300.00 करोड़ स्थानांतरित किया गया। ₹163.57 करोड़ का संचित निक्षेप निधि में कम अंशदान के परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष को अधिक और राजकोषीय घाटे को उस सीमा तक कम बताया गया। 31 मार्च 2022 तक निधि में ₹2,886.94 करोड़ की राशि पड़ी थी और कुल राशि भारत सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश की गई थी।

2.5.2.2 राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि

पंद्रहवें वित्त आयोग ने आपदा प्रतिक्रिया के साथ-साथ आपदा न्यूनीकरण के लिए निधि के निर्माण की सिफारिश की है, जिसे एक साथ राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन निधि (एसडीआरएमएफ) कहा जाएगा। एसडीआरएमएफ के लिए अनुशंसित कुल राशि में से एसडीआरएमएफ का हिस्सा 80 प्रतिशत और एसडीएमएफ का हिस्सा 20 प्रतिशत होगा। 01 अप्रैल 2021 तक राज्य आपदा राहत निधि के पास ₹103.11 करोड़ का प्रारंभिक शेष था। वर्ष के दौरान, राज्य शासन को केंद्र सरकार के हिस्से के रूप में ₹345.60 करोड़ और ₹115.20 करोड़ का संबंधित राज्य का हिस्सा प्राप्त हुआ, जिसे निधि में स्थानांतरित किया जाना था। राज्य शासन ने मुख्य मद 8121-122 एसडीआरएमएफ के तहत कुल ₹460.80 करोड़ की राशि निधि में स्थानांतरित की। वर्ष 2021-22 के दौरान एसडीआरएमएफ से ₹360.54 करोड़ का व्यय किया गया। इस प्रकार, 31 मार्च 2022 तक एसडीआरएमएफ के पास ₹205.52⁷ करोड़ का अंतिम शेष था। एसडीआरएमएफ के लिए केंद्र सरकार से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई थी।

इसके अलावा, पंद्रहवें वित्त आयोग ने स्थानीय स्तर और समुदाय-आधारित हस्तक्षेपों के लिए राज्य आपदा शमन निधि (एसडीएमएफ) बनाने की सिफारिश की, जो जोखिम को कम करता है और पर्यावरण के अनुकूल बस्तियों और आजीविका प्रथाओं को बढ़ावा देता है। भारत सरकार और राज्य शासन को क्रमशः 75:25 के अनुपात में निधि में योगदान करना आवश्यक है। 1 अप्रैल 2021 तक एसडीएमएफ के पास ₹57.60 करोड़ रुपये का प्रारंभिक शेष था। वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य शासन को केन्द्रीय अंश के रूप में ₹86.40 करोड़ प्राप्त हुए। इस प्रकार, राज्य शासन को ₹115.20 करोड़ एसडीएमएफ (₹86.40 करोड़ केन्द्रीय हिस्से के साथ-साथ ₹28.80 करोड़ राज्य हिस्सा) को हस्तांतरित करना था। हालांकि, राज्य शासन ने केवल ₹57.60 करोड़ (₹43.20 करोड़ केन्द्रीय हिस्सा एवं ₹14.40 करोड़ राज्य हिस्सा) हस्तांतरित किया, जिसके परिणामस्वरूप राज्य आपदा शमन निधि के पास ₹115.66⁸ करोड़ का अंतिम शेष था।

राज्य आपदा राहत निधि पर प्रभारित व्यय का विवरण नीचे तालिका 2.28 में दिया गया है।

⁷ ट्रेजरी डिपॉजिट के ₹2.15 करोड़ सहित

⁸ जिसमें 0.46 करोड़ का ब्याज मिला है

तालिका 2.28: राज्य आपदा राहत निधि पर प्रभारित किये गये व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क. सं.	शीर्ष	लेखों के लघु शीर्ष	वर्ष 2021-22 के दौरान व्यय
1	2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत		
2	01- सूखा		
3	101	अनुग्रहिक राहत	0.30
4	282	लोक स्वास्थ्य	0.00
5	02- बाढ़ चक्रवात आदि		
6	101	अनुग्रहिक राहत	3.03
7	106	क्षतिग्रस्त सड़क एवं पुल के मरम्मत एवं पुर्नस्थापना	0.00
8	110	क्षतिग्रस्त जल प्रदाय एवं निकास व्यवस्था के मरम्मत एवं पुर्नस्थापना हेतु सहायता	0.03
9	111	शोकाकुल परिवार को अनुग्रह भुगतान	18.92
10	112	जनसंख्या का निष्क्रमण	0.54
11	113	मकानों के मरम्मत एवं निर्माण हेतु सहायता	7.84
12	114	कृषि सामग्री क्रय हेतु किसानों को सहायता	20.21
13	116	कृषकों को क्षतिग्रस्त ट्यूब वेल एवं पम्पसेट की मरम्मत हेतु सहायता	0.02
14	117	पशुधन के क्रय के लिए किसानों को सहायता	6.87
15	80-सामान्य		
16	101	विनाश का सामना करने के प्रशिक्षण केन्द्र	74.45
17	102	विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंधन	0.00
18	800	अन्य व्यय	228.58
19	कुल राज्य आपदा राहत निधि के अंतर्गत व्यय		360.79
20	05- राज्य आपदा राहत निधि		
21	901	घटाएँ-राज्य आपदा राहत निधि से प्रतिपूर्ति राशि	(-360.54)

स्रोत: वित्त लेखे 2021-22


2.5.2.3 प्रत्याभूति मोचन निधि

बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन को वर्ष की शुरुआत में बकाया गारंटी के 0.50 प्रतिशत के न्यूनतम वार्षिक योगदान के साथ एक प्रत्याभूति मोचन निधि (जीआरएफ) का गठन करना था। तदनुसार, राज्य शासन को वर्ष 2021-22 में प्रत्याभूति मोचन निधि बनाने और निधि में ₹99.18 करोड़ हस्तांतरित करने की आवश्यकता थी। वित्त आयोग की सिफारिशों के विपरीत राज्य शासन ने प्रत्याभूति मोचन निधि का गठन नहीं करने का निर्णय लिया क्योंकि राज्य शासन द्वारा अनुमोदित अधिकतम गारंटी "मध्यम और कम" जोखिम का था और राज्य के गठन के बाद राज्य शासन को दायित्व/भार स्थानांतरित करने के लिए किसी भी संस्था ने स्वीकृत गारंटियों के प्रति ऋण की चुकौती में चूक नहीं की थी।

2.6 ऋण प्रबंधन

ऋण प्रबंधन, शासन द्वारा आवश्यक धन जुटाने के लिए लिया गया ऋण, उसके जोखिम एवं लागत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए और किसी अन्य संप्रभु ऋण प्रबंधन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक रणनीति स्थापित करने और निष्पादित करने की प्रक्रिया है, जिसे शासन ने अधिनियम के माध्यम या किसी वार्षिक बजट घोषणाओं से निर्धारित किया है। 2017-18 और 2021-22 के बीच समग्र ऋण की प्रवृत्ति नीचे चार्ट 2.18 में दिखाई गई है:

चार्ट 2.18: 2017-18 और 2021-22 के दौरान समग्र ऋण की प्रवृत्ति



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

नोट: वर्ष 2020-21 और 2021-22 के कुल बकाया ऋण ₹92,714.22 करोड़ और ₹99,172.89 करोड़ में से बैंक टू बैंक ऋण की राशि क्रमशः ₹3,109 करोड़ और ₹8,074.15 करोड़ को हटाकर ऋण-जीएसडीपी अनुपात की गणना की गई है।

2.6.1 ऋण घटक का रूपरेखा

छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार, लोक ऋण में राज्य शासन का आंतरिक ऋण और केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम शामिल हैं। आंतरिक ऋण में बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम क्षतिपूर्ति और अन्य बॉन्ड, वित्तीय संस्थानों से ऋण और केंद्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी किए गए विशेष प्रतिभूतियाँ शामिल हैं।

प्राप्त कुल ऋण, कर्ज की अदायगी, ऋण का सकल राज्य घरेलू उत्पाद से अनुपात और पांच वर्ष की अवधि 2017-22 के दौरान राज्य को उपलब्ध ऋण की वास्तविक मात्रा का विवरण तालिका 2.29 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.29: ऋण की घटकवार प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	
1	बकाया समग्र ऋण	52,907.08	66,749.51	78,712.46	92,714.22	99,172.89	
2	लोक ऋण	आंतरिक ऋण	36,690.44	49,553.83	60,382.67	70,538.81	71,186.62
		भारत सरकार से प्राप्त ऋण	2,339.57	2,700.39	2,764.05	6,169.30	11,726.15
3	लोक लेखे की देयतायें	13,877.07	14,495.29	15,565.74	16,006.11	16,260.12	
4	समग्र बकाया ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	19.54	26.16	17.92	17.79	6.97	
5	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2,82,266	3,27,693	3,44,571	3,52,161	4,00,061	
6	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.41	16.09	5.15	2.20	13.60	
7	ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	18.74	20.37	22.84	25.44 ⁹	22.77 ¹⁰	

⁹ कुल बकाया ऋण (₹92,714.22 करोड़) से बैंक टू बैंक ऋण (₹3,109 करोड़) की राशि को छोड़कर, कुल ऋण ₹89,605.22 पर ऋण जीएसडीपी अनुपात की गणना करोड़ की गई है।

¹⁰ कुल बकाया ऋण (₹99,172.89 करोड़) से बैंक टू बैंक ऋण ₹8,074.15 करोड़ (2020-21 के दौरान ₹3,109.00 करोड़ और 2021-22 में ₹4,965.15 करोड़) की राशि को छोड़कर, कुल ऋण ₹91,098.74 करोड़ पर ऋण जीएसडीपी अनुपात की गणना की गई है।

8	कुल प्राप्त ऋण ¹¹	15,851.32	20,736.52	31,921.72	33,423.87	28,164.36
9	कुल ऋण का पुनर्भुगतान	7,202.52	6,923.87	19,958.77	19,422.11	21,657.37
10	कुल उपलब्ध ऋण	8,648.80	13,812.65	11,962.95	14,001.76	6,506.99
11	ऋण पुनर्भुगतान/ऋण प्राप्तियाँ (प्रतिशत)	45.44	33.39	62.52	58.11	76.90

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे


ऊपर दिखाए गए बकाया समग्र ऋण की राशि में राज्य के लिए कोई पुनर्भुगतान देयता के बिना राज्य शासन को ऋण प्राप्ति के रूप में जीएसटी मुआवजे में कमी के बदले प्रदान किया गया ₹8,074.15 करोड़ (2020-21 के दौरान ₹3,109.00 करोड़ और 2021-22 में ₹4,965.15 करोड़) का बैंक टू बैंक ऋण शामिल है। मार्च 2022 तक बैंक टू बैंक ऋण को छोड़कर प्रभावी बकाया समग्र ऋण ₹91,098.74 करोड़ होगा। बकाया समग्र ऋण की वृद्धि दर 2020-21 में 17.79 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 6.97 प्रतिशत हो गई। 2021-22 के दौरान, पिछले वर्ष की तुलना में कुल ऋण प्राप्तियों में ₹5,259.51 करोड़ (15.74 प्रतिशत) की कमी आई और कुल ऋण पुनर्भुगतान में ₹2,235.26 करोड़ (11.51 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2021-22 को छोड़कर जहां जीएसडीपी की वृद्धि दर बकाया समग्र ऋण की वृद्धि दर से अधिक थी, सभी पांच वर्षों में बकाया समग्र ऋण की वृद्धि दर जीएसडीपी की वृद्धि दर से अधिक थी।

राज्य शासन के पास 31 मार्च 2022 तक ₹99,172.89 करोड़ की बजटीय देनदारियों के अलावा विभिन्न वित्तीय संस्थानों के लिए ₹3,872.80 करोड़ की शुद्ध आफ बजट देनदारियां/उधार हैं। राज्य शासन ने बजट दस्तावेज के साथ एफआरबीएम प्रकटीकरण के तहत आवश्यक इन उधारों का खुलासा नहीं किया है।

ऋण का घटक-वार विवरण नीचे चार्ट 2.19 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.19: वर्ष 2021-22 के अंत में बकाया समग्र ऋण का विवरण

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्त लेखे वर्ष 2021-22


आंतरिक ऋण (₹71,186.62 करोड़), जो कि मुख्यतः राज्य विकास ऋण (एसडीएल) को जारी कर बाजार ऋण होता है, वह कुल बकाया ऋण का 72 प्रतिशत था।

¹¹ लोक लेखा दायित्व सहित

चार्ट 2.20 राज्य शासन द्वारा लिया गया आंतरिक ऋण और उसी अवधि के लिए पुनर्भुगतान को चित्रित करता है।

चार्ट 2.20: लिये गये आंतरिक ऋण की तुलना में पुनर्भुगतान

(₹ करोड़ में)



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2017-22 के दौरान, राज्य शासन के समग्र ऋण के तहत आंतरिक ऋण प्राप्तियाँ 2017-18 में ₹9,187.89 करोड़ से ₹133.88 करोड़ बढ़कर 2021-22 में ₹9,321.77 करोड़ हो गई। हालांकि, पिछले वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में इसमें ₹8,639.60 करोड़ की कमी आई। वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य शासन ने अपने आंतरिक ऋण प्राप्तियों का 92.53 प्रतिशत पिछले आंतरिक ऋण के पुनर्भुगतान में उपयोग किया, परिणामस्वरूप व्यय के लिए केवल 7.45 प्रतिशत ही उपलब्ध था। यह उपलब्धता 2021-22 में सबसे कम (7.45 प्रतिशत) और 2018-19 में उच्चतम (93.10 प्रतिशत) थी।

2.6.2 राजकोषीय घाटे के घटक और इसका वित्तपोषण संरचना

राजकोषीय घाटा राजस्व और पूंजीगत व्यय (ऋण और अग्रिम सम्मिलित कर) का राजस्व और गैर-ऋण प्राप्तियों पर से अधिकता की पूर्ति के लिए राज्य को कुल वित्तीय पोषण की आवश्यकता (आधिकांशतः भारतीय रिजर्व बैंक से अपने रोकड़ एवं निवेश शेष से आहरण कर और ऋण लेकर) को प्रतिनिधित्व करता है। राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण की संरचना तालिका 2.30 में प्रतिबिंबित है।

तालिका 2.30: राजकोषीय घाटे के घटक और उसके वित्तपोषण की संरचना

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
राजकोषीय घाटे की संरचना						
1	राजस्व घाटा (-)/आधिक्य(+)	3,417.32	683.76	(-)9,608.61	(-)6,856.66	4,642.02
2	शुद्ध पूंजीगत व्यय	(-)9,997.64	(-)8,898.19	(-)8,561.69	(-)9,019.34	(-)10,499.33
3	शुद्ध ऋण तथा अग्रिम ¹²	(-)230.00	(-)77.80	200.75	53.62	(-)235.79
योग		(-)6,810.32	(-)8,292.23	(-)17,969.55	(-)15,822.38	(-)6,093.10
राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का स्वरूप						
1	बजार से लिए गए उधार	8,100.00	12,899.99	10,980.00	10,500.00	999.99
2	भारत सरकार से ऋण	292.41	360.82	63.66	3,405.25	5,556.85

¹² अंतर्राज्यीय परिशोधन सहित निवल ऋण और अग्रिम

3	एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूति	(-)431.13	(-)443.74	(-)455.88	(-)455.88	(-)455.88
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	691.28	407.14	304.72	112.02	239.03
5	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	640.61	754.51	785.26	403.73	(-)0.90
6	जमा तथा अग्रिम	120.95	(-)231.39	(-)524.14	501.82	(-)204.13
7	उचंचत तथा विविध	(-)1,611.16	(-)5,709.95	4,505.27	1,845.02	109.64
8	प्रेषण	70.92	(-)122.43	80.79	(-)51.08	(-)6.83
9	आरक्षित निधि	(-)765.14	60.40	814.16	(-)465.18	453.53
10	मुआवजा और अन्य बांड	0.00	0.00	0.00	0.00	(-)87.01
11	कुल घाटा	7,108.74	7,975.35	16,553.84	15,795.70	6,604.29
12	रोकड़ शेष में (-)वृद्धि / (+)कमी	(-)298.42	(+)316.88	(+)1,415.71	(+)26.68	(-)511.19
	सकल राजकोषीय घाटा	6,810.32	8,292.23	17,969.55	15,822.38	6,093.10

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2021-22 के दौरान, केंद्र सरकार से राज्य शासन द्वारा जुटाए गए ऋण और अग्रिम (₹5,556.85 करोड़) ने राजकोषीय घाटे के एक बड़े हिस्से को वित्तपोषित करने में योगदान दिया और राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण में इसकी हिस्सेदारी 91.20 प्रतिशत थी।

राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण वाले विभिन्न घटकों के तहत प्राप्तियाँ और संवितरण तालिका 2.31 में दिखाया गया है।

तालिका 2.31: राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण वाले घटकों के तहत प्राप्तियाँ और संवितरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	प्राप्तियाँ	संवितरण	निवल
1	बाजार से लिए गए उधार	3,999.99	3,000.00	999.99
2	भारत सरकार से ऋण	5,776.51	219.66	5,556.85
3	एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूति	0.00	455.88	(-)455.88
4	वित्तीय संस्थाओं से ऋण	1,104.27	865.24	239.03
5	मुआवजा और अन्य बांड	0.00	87.01	(-)87.01
6	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	1,648.18	1,649.08	(-)0.90
7	जमा तथा अग्रिम	4,226.54	4,430.67	(-)204.13
8	उचंचत तथा विविध	1,45,828.19	1,45,718.55	109.64
9	प्रेषण	8,877.41	8,884.24	(-)6.83
10	आरक्षित निधि	7,779.21	7,325.68	453.53
11	आकस्मिकता निधि	0.00	0.00	0.00
12	कुल घाटा	1,79,240.30	1,72,636.01	6,604.29
13	रोकड़ शेष में वृद्धि / कमी	0.00	511.19	(-)511.19
14	सकल राजकोषीय घाटा	1,79,240.30	1,73,147.20	6,093.10

स्रोत: वित्त लेखे 2021-22

2.6.3 ऋण की रूपरेखा: परिपक्वता और अदायगी

ऋण परिपक्वता और अदायगी रूपरेखा, ऋण अदायगी या ऋण सर्विसिंग के लिए शासन की प्रतिबद्धता को इंगित करता है। नीचे दी गई तालिका 2.32 राज्य की ऋण परिपक्वता रूपरेखा को दर्शाती है।

तालिका 2.32: राज्य ऋण के अदायगी के परिपक्वता की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

क. सं.	पुनर्भुगतान की अवधि (वर्ष)	आंतरिक ऋण	केन्द्र सरकार से ऋण तथा अग्रिम	योग	प्रतिशत (लोक ऋण के सापेक्ष में)
1	0 से 1	5,652.58	354.80	6,007.38	7.24
2	1 से 3	16,250.73	497.59	16,748.32	20.20
3	3 से 5	20,980.66	373.85	21,354.51	25.76
4	5 से 7	19,426.37	363.19	19,789.56	23.87
5	7 और उससे अधिक	8,720.30	2,061.14	10,781.44	13.00
6	अन्य ¹³	155.97	8,075.58	8,231.55	9.93
योग		71,186.62	11,726.15	82,912.77	100.00

स्रोत: वित्त लेखे 2021-22

31 मार्च 2022 को राज्य ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा इंगित करती है कि राज्य को अगले सात वर्षों के भीतर ऋण का 77.07 प्रतिशत भुगतान करना है।

2.7 ऋण स्थिरता विश्लेषण

ऋण स्थिरता को राज्य की अभी और भविष्य में अपने ऋण को चुकाने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। सरकार के ऋण के परिमाण के अलावा, विभिन्न मापदंडों का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है जो राज्य की ऋण स्थिरता का निर्धारण करते हैं और राज्य की ऋण दायित्वों को पूरा करने की क्षमता का संकेत देते हैं। यह खंड सरकार के ऋण की स्थिरता का आकलन बकाया ऋण की वृद्धि दर; ब्याज भुगतान और राजस्व प्राप्तियों का अनुपात, ऋण पुनर्भुगतान और ऋण प्राप्तियों का अनुपात; राज्य को शुद्ध ऋण उपलब्ध के संदर्भ में आकलन करता है।

तालिका 2.33 इन संकेतकों के अनुसार 2017-18 से 2021-22 तक पांच वर्षों की अवधि के लिए राज्य की ऋण स्थिरता का विश्लेषण करती है।

तालिका 2.33: ऋण स्थिरता संकेतकों में प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क. सं.	विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	बकाया लोक ऋण*	39,030.01	52,254.22	63,146.72	76,659.79 ¹⁴	82,912.77 ¹⁵
2	लोक ऋण की वृद्धि दर (प्रतिशत)	28.48	33.88	20.85	21.40	8.16
3	सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2,82,266	3,27,693	3,44,571	3,52,161	4,00,061
4	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत)	7.41	16.09	5.15	2.20	13.60

¹³ परिपक्वता वर्ष का विवरण उपलब्ध नहीं है

¹⁴ राज्य शासन को ऋण प्राप्ति के रूप में जीएसटी मुआवजे में कमी के एवज में प्रदान किया गया ₹3,109 करोड़ का बैंक टू बैंक ऋण शामिल है, जिसमें राज्य के लिए कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं है।

¹⁵ राज्य शासन को ऋण प्राप्ति के रूप में जीएसटी मुआवजे में कमी के एवज में प्रदान किया गया ₹8,074.15 करोड़ का बैंक टू बैंक ऋण शामिल है, जिसमें राज्य के लिए कोई पुनर्भुगतान देयता नहीं है।

5	ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	13.83	15.95	18.33	20.89 ¹⁶	18.71 ¹⁷
6	बकाया लोक ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत)	7.52	6.79	7.42	7.19	7.35
7	राजस्व प्राप्ति के लिए ब्याज भुगतान का प्रतिशत	4.37	4.76	6.70	7.78	6.85
8	ऋण प्राप्ति के लिए ऋण पुनर्भुगतान का प्रतिशत	10.36	7.97	44.39	37.16	58.58
9	राज्य के लिए उपलब्ध शुद्ध ऋण #	6,044.56	10,126.19	6,610.26	8,645.96	799.18
10	ऋण प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में शुद्ध ऋण उपलब्ध	62.62	70.47	33.75	40.06	5.29
11	प्राथमिक घाटा	(-)3,711.99	(-)4,639.69	(-)12,999.19	(-)10,189.27	51.14
12	ऋण स्थिरीकरण (क्वांटम स्प्रेड [@] /+ प्राथमिक घाटा)	(-)3,752.99	219.95	(-)14,432.62	(-)13,859.45	4,728.55

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* बकाया लोक ऋण शीर्ष 6003-आंतरिक ऋण और 6004- केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम के तहत बकाया शेष राशि का योग है।

राज्य शासन के पास उपलब्ध निवल ऋण की गणना लोक ऋण पुनर्भुगतान और लोक ऋण पर ब्याज भुगतान पर लोक ऋण प्राप्तियों के आधिक्य के रूप में की जाती है।

@ क्वांटम स्प्रेड = ऋण * ब्याज स्प्रेड ; जहां ब्याज स्प्रेड = जीएसडीपी विकास दर - औसत ब्याज दर। वर्ष 2020-21 और 2021-22 के लिए क्वांटम स्प्रेड की गणना के लिए क्रमशः ₹3,109 और ₹8,074.15 करोड़ के बैंक टू बैंक ऋण को छोड़कर ऋण और औसत ब्याज दर ली गई है।

ऋण स्थिरता के लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि यदि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर लोक उधार की ब्याज दर या लागत से अधिक हो जाती है, तो ऋण जीएसडीपी अनुपात स्थिर होने की संभावना है, बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य या सकारात्मक हों या मामूली नकारात्मक हों।

ब्याज स्प्रेड (जीएसडीपी विकास दर - औसत ब्याज दर) और क्वांटम स्प्रेड (ऋण * ब्याज स्प्रेड) को देखते हुए, ऋण स्थिरता की स्थिति बताती है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ-साथ क्वांटम स्प्रेड शून्य है, तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात स्थिर रहेगा या ऋण अंततः स्थिर होगा। दूसरी ओर, यदि क्वांटम स्प्रेड के साथ प्राथमिक घाटा नकारात्मक हो जाता है, तो ऋण-जीएसडीपी अनुपात बढ़ जाएगा और यदि यह सकारात्मक है, तो ऋण जीएसडीपी अनुपात अंततः गिर जाएगा।

- वर्ष 2017-18 और 2019-21 के दौरान जीएसडीपी अनुपात में ऋण बढ़ रहा था क्योंकि क्वांटम स्प्रेड के साथ प्राथमिक घाटा नकारात्मक था और इसलिए ऋण स्थिरीकरण की शर्त को पूरा नहीं कर सका। हालांकि 2021-22 के दौरान, अर्थव्यवस्था की विकास दर (जीएसडीपी की वृद्धि दर) सार्वजनिक उधार की ब्याज दर या लागत से अधिक हो गई, जिसके परिणामस्वरूप जीएसडीपी अनुपात में ऋण कम हो गया और ऋण स्थिरीकरण के लिए आवश्यक शर्त पूरी हो गई।
- ब्याज भुगतान का उच्च प्रतिशत प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए कम धन छोड़ता है। राजस्व प्राप्ति के लिए ब्याज भुगतान का प्रतिशत एक निश्चित अवधि के दौरान अपने ऋण पर ब्याज का

¹⁶ ऋण/जीएसडीपी की गणना ₹76,659.79 करोड़ के कुल लोक ऋण से ₹3,109 करोड़ के बैंक टू बैंक ऋण को छोड़कर ₹73,550.79 करोड़ पर की गई है।

¹⁷ ऋण/जीएसडीपी की गणना ₹82,912.77 करोड़ के कुल लोक ऋण से ₹8,074.15 करोड़ के बैंक टू बैंक ऋण को छोड़कर ₹74,838.62 करोड़ पर की गई है।


भुगतान करने के लिए सरकार की सुरक्षा के मार्जिन को मापता है। वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक राजस्व प्राप्ति की तुलना में लोक ऋण पर ब्याज भुगतान के प्रतिशत में वृद्धि की प्रवृत्ति रही। हालांकि, 2021-22 के दौरान राजस्व प्राप्ति के लिए लोक ऋण पर ब्याज भुगतान पिछले वर्ष की 7.78 प्रतिशत की तुलना में घटकर 6.85 प्रतिशत हो गया।

- 2020-21 में 40 प्रतिशत (₹8,645.96 करोड़) के मुकाबले 2021-22 में उधार और ब्याज के पुनर्भुगतान के बाद राज्य के लिए उपलब्ध शुद्ध ऋण का प्रतिशत घटकर पांच प्रतिशत (₹799.18 करोड़) हो गया। राज्य की निवल ऋण उपलब्धता में कमी ऋण चुकाने के बढ़ते बोझ की ओर संकेत करती है और राज्य को विकास गतिविधियों के लिए सीमित धन उपलब्धता के साथ छोड़ती है।
- वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान ऋण पुनर्भुगतान पर औसत व्यय (लोक ऋण पुनर्भुगतान और लोक ऋण पर ब्याज भुगतान) ₹9,612.78 करोड़ था, जो इसी अवधि के दौरान औसत लोक ऋण प्राप्तियों (₹16,058.01 करोड़) का 59.86 प्रतिशत था, जिसका अर्थ है ऋण का एक बड़ा प्रतिशत उत्पादकता के बजाय ऋण सेवा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था।

मार्च 2022 के अंत में राज्य सरकार की कुल बकाया गारंटी (₹19,523.54 करोड़) राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियों का 65.02 प्रतिशत थी। चूंकि राज्य ने गारंटी मोचन कोष (जीआरएफ) नहीं बनाया है, इसलिए उधार लेने वाली संस्थाओं द्वारा चूक के कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी देनदारी को बजट प्रावधान के माध्यम से पूरा किया जाएगा जो राज्य सरकार पर अतिरिक्त बोझ डालेगा।

नीचे चार्ट 2.21 ऋण/जीएसडीपी अनुपात के संदर्भ में राज्य शासन के ऋण की स्थिरता को दर्शाता है।

चार्ट 2.21: ऋण स्थिरता संकेतकों के प्रवृत्ति



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

नोट: 2020-21 और 2021-22 में बैंक टू बैंक ऋण को छोड़कर जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में ऋण की गणना गई है।

2.7.1 आगामी वर्षों में अदायगी के लिए बकाया लोक ऋण की प्रवृत्ति

राज्य शासन के उधार भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 द्वारा शासित होते हैं। राज्य शासन विभिन्न राज्य योजना कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और राजकोषीय देनदारियों की पूर्ति के लिए बाजार से ऋण/उधार

लेती है। वर्तमान ऋण देनदारियों पर अगले 10 वर्षों में पुनर्भुगतान के लिए बकाया ऋण स्टॉक का मूलधन और ब्याज नीचे तालिका 2.34 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.34: अगले 10 वर्षों में पुनर्भुगतान के लिए बकाया लोक ऋण (मूलधन)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	पुनर्भुगतान के लिए बकाया लोक ऋण (मूलधन)		
		राज्य शासन के आंतरिक ऋण	केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम	योग
1	2021-22	8,625.64	219.66	8,845.30
2	2022-23	5,652.58	354.80	6,007.38
3	2023-24	7,204.78	294.16	7,498.94
4	2024-25	9,045.96	203.42	9,249.38
5	2025-26	10,800.46	189.02	10,989.48
6	2026-27	10,180.20	184.83	10,365.03
7	2027-28	11,870.44	184.80	12,055.24
8	2028-29	7,555.93	178.40	7,734.33
9	2029-30	7,981.26	162.46	8,143.72
10	2030-31	256.48	143.18	399.66
11	2031-32	120.44	133.70	254.14
योग		79,294.17	2,248.43	81,542.60

स्रोत: वित्त लेखे 2021-22

वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य शासन ने आंतरिक ऋण के विरुद्ध ₹8,625.64 करोड़ और केंद्र सरकार के ऋण और अग्रिमों के विरुद्ध ₹219.66 करोड़ का मूलधन पुनर्भुगतान किया। इसके अलावा, राज्य शासन को 2022-23 से 2031-32 तक आंतरिक ऋण के विरुद्ध ₹70,668.53 करोड़ और केंद्र सरकार से लिए गए ऋणों और अग्रिमों के ₹2,028.77 करोड़ की मूलधन अदायगी करनी होगी। पुनर्भुगतान के लिए बाजार ऋणों का बकाया मूलधन और ब्याज नीचे तालिका 2.35 में दिखाया गया है।

तालिका 2.35: पुनर्भुगतान के लिए बकाया मूलधन और बाजार ऋणों का ब्याज

(₹ करोड़ में)


क्र. सं.	वर्ष	पुनर्भुगतान के लिए बकाया बाजार ऋण		
		मूलधन	ब्याज	योग
1	2021-22	3,000.00	4,697.32	7,697.32
2	2022-23	4,200.00	4,589.64	8,789.64
3	2023-24	5,700.00	3,949.77	9,649.77
4	2024-25	7,500.00	3,525.19	11,025.19
5	2025-26	9,550.00	2,733.74	12,283.74
6	2026-27	9,200.00	2,334.75	11,534.75
7	2027-28	11,100.00	1,449.69	12,549.69
8	2028-29	7,000.00	769.08	7,769.08
9	2029-30	7,680.00	558.28	8,238.28
योग		64,930.00	24,607.46	89,537.46

स्रोत: वित्त लेखे 2021-22

राज्य शासन ने वर्ष 2021-22 के दौरान बाजार ऋणों के विरुद्ध ₹3,000.00 करोड़ की मूलधन अदायगी और ₹4,697.32 करोड़ की ब्याज अदायगी की। इसके अलावा, राज्य शासन को 2022-23 से 2029-30 तक बाजार ऋणों के खिलाफ ₹61,930.00 करोड़ का मूलधन पुनर्भुगतान और ₹19,910.14 करोड़ का ब्याज पुनर्भुगतान करनी होगी। ₹61,930.00 करोड़ का बाजार ऋण कुल लोक ऋण-मूल घटक ₹72,697.30 करोड़ का एक बड़ा हिस्सा (85.19 प्रतिशत) है। बकाया बाजार ऋणों की पुनर्भुगतान की प्रवृत्ति नीचे चार्ट 2.22 में दर्शाई गई है।

चार्ट 2.22: पुनर्भुगतान के लिए बकाया बाजार ऋणों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)



स्रोत: वित्त लेखे 2021-22

जैसा कि उपरोक्त चार्ट से देखा जा सकता है कि बकाया वर्ष वार पुनर्भुगतान के लिए बाजार ऋण में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई देती है, राज्य शासन को आने वाले वर्षों में बढ़ते ऋण पुनर्भुगतान बोझ को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों को बढ़ाने की आवश्यकता है।

2.7.2 उधार ली गई निधि का उपयोग

उधार ली गई निधि का उपयोग आदर्श रूप से पूँजी निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। मौजूदा खपत को पूरा करने और बकाया ऋण पर ब्याज की अदायगी के लिए उधार ली गई निधि का उपयोग करना धारणीय/स्थिर नहीं है। 2017-18 से 2021-22 के दौरान उधार ली गई राशि के उपयोग का विवरण और प्रवृत्ति तालिका 2.36 में दिया गया है।

तालिका 2.36: उधार ली गई निधियों के उपयोग

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1	कुल उधारियाँ ¹⁸	15,851.32	20,736.52	31,921.72	33,423.87	28,164.36
2	पूर्व उधारियों का पुनर्भुगतान (मूलधन)	7,202.52	6,923.87	19,958.77	19,422.11	21,657.37
3	उधारियों के पुनर्भुगतान के बाद उपलब्ध शेष	8,648.80	13,812.65	11,962.95	14,001.76	6,506.99
4	निवल पूँजीगत व्यय	(-)9,997.64	(-)8,898.19	(-)8,561.69	(-)9,019.34	(-)10,499.33
5	निवल ऋण एवं अग्रिम	(-)230.00	(-)77.80	200.75	53.62	(-)235.79
6=1-2-3-4	राजस्व व्यय का हिस्सा जो निवल उपलब्ध उधारियों से हुआ	निरंक	निरंक	3,602.01	5,036.04	निरंक
7	रोकड़ शेष में अधिशेष उधार	निरंक	4,836.66	निरंक	निरंक	निरंक

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 2.36 से पता चलता है कि 2021-22 के दौरान उधार पूँजीगत खाते पर व्यय से कम था, यानी लोक ऋण, पूँजीगत व्यय और ऋण और अग्रिमों का पुनर्भुगतान, जिसका अर्थ है कि पूँजीगत खाते पर व्यय का एक हिस्सा राजस्व अधिशेष से पूरा किया गया था। वर्ष 2021-22 के दौरान, उधार ली गई राशि का 77 प्रतिशत पहले के उधारों के पुनर्भुगतान के लिए उपयोग किया गया और केवल 23 प्रतिशत विकास गतिविधियों के लिए शेष रह गया। 2021-22 के दौरान, कुल उधारी 2020-21 में ₹33,423.87 करोड़ से ₹5,259.51 करोड़ (15.74 प्रतिशत) कम होकर 2021-22 में ₹28,164.36 करोड़ हो गई। हालांकि, पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में पहले के उधारों की पुनर्भुगतान में ₹2,235.26 करोड़ (11.51 प्रतिशत) की वृद्धि हुई।

2.7.3 प्रत्याभूति (गारंटी) – आकस्मिक देयताएं

गारंटियां उधारकर्ता द्वारा चूक की स्थिति में राज्य की समेकित निधि पर देय आकस्मिक देनदारियां हैं जिनके लिए गारंटी को बढ़ाया गया है। राज्य शासन की कुल बकाया गारंटी पिछले पांच वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य शासन गारंटी नियम के तहत निर्धारित सीमा के भीतर थी। वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक की बकाया गारंटियों का विवरण तालिका 2.37 में दिया गया है।

तालिका 2.37: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दी गई प्रत्याभूति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	गारंटी	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2021-22
1	गारंटियों की बकाया राशि पर लागू अधिकतम सीमा*	17,230.12	18,364.57	20,391.20	30,051.62	30,026.15
2	गारंटी की बकाया राशि	3,881.92	10,769.42	18,459.36	19,836.13	19,523.54

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

* छत्तीसगढ़ राज्य शासन गारंटियां नियमावली, 2003 के अनुसार किसी वित्तीय वर्ष में गारंटियों की कुल बकाया राशि गत वर्ष में राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियों के सत्तर प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि, छत्तीसगढ़ राज्य शासन गारंटी नियम, 2020 (संशोधित) के माध्यम से इस सीमा को बढ़ाकर (जुलाई 2020) शत प्रतिशत कर दिया गया।

31 मार्च 2021 तक राज्य शासन ने विभिन्न संस्थाओं को ₹19,836.13 करोड़ के ऋण की गारंटी दी। वर्ष 2021-22 के दौरान, पुनः ₹661.25 करोड़ राशि की और गारंटी दी। वर्ष के दौरान ₹973.84 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया, जिससे मार्च 2022 के अंत में ₹19,523.54 करोड़ की गारंटी बकाया थी।

¹⁸ लोक ऋण और अन्य लोक खाता देनदारियों सहित कुल उधारी

लेखापरीक्षा ने पाया कि उपरोक्त कई संस्थाओं ने सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए सरकारी गारंटी के आधार पर ऋण के माध्यम से धन जुटाया। ये संस्थाएँ या तो घाटे में चल रही हैं और/या सरकार द्वारा वित्तपोषित हैं। लेखापरीक्षा द्वारा संवीक्षा किए गए ऐसे पांच मामलों में पता चला कि राज्य शासन बजट के माध्यम से ऋण और उस पर ब्याज चुका रही है, इस प्रकार सरकार पर बोझ स्थानांतरित कर रही है।

मार्च 2022 के अंत में बकाया गारंटियां (₹19,523.54 करोड़) पिछले वर्ष की राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियों¹⁹ का 65.02 प्रतिशत थी (यानी 2020-21 में ₹30,026.15 करोड़) जो 100 प्रतिशत की सीमा के भीतर थी। वर्ष 2021-22 के दौरान प्राप्त होने वाले गारंटी शुल्क ₹76.00 करोड़ के विरुद्ध ₹73.50 करोड़ प्राप्त हुए तथा अटल नगर विकास प्राधिकरण को दी गई गारंटी के लिए गारंटी शुल्क (₹2.50 करोड़) प्राप्त नहीं हुए।

2.7.4 रोकड़ शेष की प्रबंधन

राज्य शासन अपने अधिशेष नकद शेष को छोटी और लंबी अवधि के भारत सरकार प्रतिभूतियों और ट्रेजरी बिलों में निवेश करती है। इस तरह के निवेश से प्राप्त लाभ को शीर्ष 0049-ब्याज प्राप्तियों के तहत प्राप्तियों के रूप में क्रेडिट कर दिया जाता है।

यह वांछनीय नहीं है कि राज्य शासन बड़े पैमाने पर रोकड़ शेष होने के बावजूद बाजार ऋण के लिए सहारा लेती है और इसे उत्पादक उपयोग में लाए बिना रोकड़ शेष के आगे बढ़ने की संभावना है। **तालिका 2.38** वर्ष के दौरान राज्य शासन द्वारा रोकड़ शेष और इनमें से किए गए निवेश को दर्शाती है।

तालिका 2.38: रोकड़ शेष की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	01 अप्रैल 2021 की स्थिति में प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2022 की स्थिति में अंतिम शेष
1	(अ) सामान्य रोकड़ शेष		
2	कोषालय में रोकड़	0.00	0.00
3	रिजर्व बैंक में जमा	(-)1,121.67	(-)610.48
4	अन्य बैंक में जमा	0.00	0.00
5	मार्गस्थ प्रेषण	0.00	0.00
6	योग	(-)1,121.67	(-)610.48
7	"रोकड़ शेष निवेश लेखा" में किया गया निवेश	3,389.68	3,345.39
8	योग (अ)	2,268.01	2,734.91
9	(ब) अन्य रोकड़ शेष और निवेश		
10	विभागीय अधिकारियों जैसे वन तथा लोक निर्माण विभाग, राज्यपाल के सैनिक सचिव के पास रोकड़	11.95	12.10
11	विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी पेशगी राशियों	0.34	0.34
12	विशिष्ट उद्देश्य हेतु निधियों का निवेश	7,181.07	7,174.27
13	योग (ब)	7,193.36	7,186.71
14	योग (अ) तथा (ब)	9,461.37	9,921.62
15	अर्जित ब्याज	29.66	28.23

स्रोत : वित्त लेखे 2021-22

¹⁹ राज्य की अपनी राजस्व प्राप्तियों में राज्य का अपना कर राजस्व और गैर-कर राजस्व शामिल हैं

चालू वर्ष के अंत में राज्य शासन का रोकड़ शेष 2020-21 में ₹9,461.37 करोड़ से ₹460.25 करोड़ बढ़कर 2021-22 में ₹9,921.62 करोड़ हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ एक समझौते के तहत छत्तीसगढ़ शासन को भारतीय रिजर्व बैंक के पास ₹0.72 करोड़ की आवश्यक न्यूनतम रोकड़ शेष राशि बनाए रखनी है। यदि किसी दिन शेष न्यूनतम समझौता राशि से कम हो जाता है, तो कमी को साधारण और विशेष अर्थोपाय अग्रिम या साधारण अर्थोपाय अग्रिम की सहायता से अच्छा बनाया जाता है। जबकि राज्य शासन ने वर्ष 2021-22 के दौरान किसी भी तरह से अर्थोपाय अग्रिम का लाभ नहीं उठाया है, इसने भारतीय रिजर्व बैंक से ₹4,217.51 करोड़ की विशेष आहरण सुविधा का लाभ उठाया है। पाँच वर्ष की अवधि 2017-18 से 2021-22 के दौरान राज्य का रोकड़ शेष निवेश तालिका 2.39 में नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 2.39: रोकड़ शेष निवेश लेखा (मुख्य शीर्ष-8673)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	रोकड़ शेष निवेश			
		प्रारंभिक शेष	अंतिम शेष	वृद्धि/कमी	अर्जित ब्याज
1	2017-18	2,512.00	4,070.85	1,558.85	140.20
2	2018-19	4,070.85	9,759.02	5,688.17	144.33
3	2019-20	9,759.02	5,246.81	(-)4,512.21	196.10
4	2020-21	5,246.81	3,389.68	(-)1,857.13	29.66
5	2021-22	3,389.68	3,345.39	(-)44.29	28.23


स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

वर्ष 2017-22 के दौरान राज्य शासन के रोकड़ शेष निवेश के अन्तिम शेष की स्थिति वर्ष 2017-18 में ₹4,070.85 करोड़ से वर्ष 2021-22 में ₹3,345.39 करोड़ की अंतर-वर्ष उतार-चढ़ाव के साथ ₹725.46 करोड़ घट जाती है।

नीचे चार्ट 2.23 में 2017-22 की अवधि के दौरान राज्य शासन द्वारा प्राप्त रोकड़ शेष और बाजार ऋण की तुलना की गई है।

चार्ट 2.23: बाजार ऋण की तुलना में रोकड़ शेष

(₹ करोड़ में)



स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

राज्य शासन ने 31 मार्च 2022 को सामान्य रोकड़ शेष से भारत सरकार के ट्रेजरी बिलों में ₹3,345.39 करोड़ का निवेश किया। 2021-22 के दौरान, राज्य शासन ने रोकड़ शेष के निवेश पर ₹28.23 करोड़ का ब्याज प्राप्त किया और 6.64 प्रतिशत की औसत ब्याज दर पर ₹3,999.99 करोड़ के बाजार ऋण जुटाए।

बड़ी मात्रा में रोकड़ शेष का निर्माण राज्य शासन के लिए ब्याज लागत के बोझ को बढ़ाता है। राज्य शासन इसके साथ उपलब्ध अधिशेष रोकड़ शेष का उपयोग करके अपने उधार और ब्याज के बोझ को कम कर सकती थी।

2.8 निष्कर्ष

राज्य शासन ने वर्ष 2021-22 के दौरान अपनी राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 26.08 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। स्वयं के कर राजस्व में 18.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई और करेतर राजस्व में 94.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई और बजटीय अनुमानों में निर्धारित अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सका।

राज्य शासन ने राजस्व आधिक्य (₹4,642.02 करोड़) का लक्ष्य हासिल किया और 2021-22 के दौरान, जीएसडीपी से राजकोषीय घाटे का अनुपात (1.52 प्रतिशत) एफआरबीएम/एमटीएफपी के तहत निर्धारित चार प्रतिशत के लक्ष्य के भीतर था।

राजस्व व्यय, जो कुल व्यय का 87 प्रतिशत है, पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान 7.11 प्रतिशत बढ़ा है। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में पूँजीगत व्यय में 16.40 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन कुल व्यय में इसका हिस्सा केवल 12 प्रतिशत था। जबकि जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय 18.75 प्रतिशत था, पूँजीगत व्यय वर्ष 2021-22 में जीएसडीपी का 2.63 प्रतिशत था। राज्य शासन द्वारा पूँजीगत व्यय को दी गई आवंटन प्राथमिकता 2021-22 में सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से कम थी।

राज्य का ऋण-जीएसडीपी अनुपात वर्ष 2020-21 में 25.44 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2021-22 में 22.77 प्रतिशत हो गया, जिसका एफआरबीएम/एमटीएफपीएस के तहत 28.34 प्रतिशत का लक्ष्य रखा गया था।

जीएसडीपी विकास दर की तुलना में लोक ऋण पर औसत ब्याज दर कम होने के कारण वर्ष 2021-22 के दौरान ऋण स्थिरीकरण में वृद्धि हुई। राजस्व प्राप्तियों के लिए लोक ऋण पर ब्याज भुगतान का प्रतिशत भी वर्ष 2020-21 के 7.78 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2021-22 में 6.85 प्रतिशत हो गया।

वर्ष 2020-21 में 40 प्रतिशत (₹8,645.96 करोड़) के मुकाबले वर्ष 2021-22 में उधार और ब्याज के पुनर्भुगतान के बाद राज्य के लिए उपलब्ध शुद्ध लोक ऋण का प्रतिशत घटकर पाँच प्रतिशत (₹799.18 करोड़) हो गया। राज्य की निवल ऋण उपलब्धता में कमी ऋण चुकाने के बढ़ते बोझ की ओर संकेत करती है और राज्य को विकास गतिविधियों के लिए सीमित धन उपलब्धता के साथ छोड़ती है।

वर्ष 2021-22 में राजस्व व्यय के प्रति प्रतिबद्ध व्यय वर्ष 2020-21 के 60.08 प्रतिशत से घटकर 58.92 प्रतिशत हो गया।

राज्य शासन ने सरकार द्वारा जारी गारंटियों में से उधार लेने वाली एजेंसी द्वारा चूक की स्थिति में उत्पन्न ऋण चुकौती दायित्व को पूरा करने के लिए प्रत्याभूति मोचन निधि का गठन नहीं किया है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, राज्य शासन ने संचित निक्षेप निधि में कम अंशदान हस्तांतरित किया, जो बकाया देनदारियों का 0.32 प्रतिशत था, जबकि न्यूनतम आवश्यक योगदान कम से कम 0.50 प्रतिशत था।

2.9 अनुशंसाएं

क. राज्य शासन को अपने प्रतिबद्ध व्यय को युक्तिसंगत बनाने के तरीकों का पता लगाना चाहिए ताकि विकास व्यय के लिए अधिक धन उपलब्ध कराया जा सके।

ख. राज्य शासन को बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार प्रत्याभूति मोचन निधि का सृजन करना चाहिए।

ग. सरकार को पूँजी परियोजनाओं के पूरा होने में देरी के कारणों की समीक्षा और विश्लेषण करना चाहिए और इस संबंध में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए संबंधित विभागों को सक्षम करने के लिए शीघ्र उपाय शुरू करने चाहिए।